LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, December 11, 2024 / Agrahayana 20, 1946 (Saka)

HON’BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, December 11, 2024 / Agrahayana 20, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARREE QUESTIONS
(S.Q. NO. 221 – 227)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 228 – 240)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 2531 – 2760)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, December 11, 2024 / Agrahayana 20, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, December 11, 2024 / Agrahayana 20, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
ANNOUNCEMENT RE: NOTICES OF QUESTION OF PRIVILEGE	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 93**
STATEMENT CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 272 DATED 24.07.2024 RE: (I) STATUS OF DIGITAL INDIA PROGRAMME AND (II) GIVING REASONS FOR DELAY IN CORRECTING THE ANSWER - LAID	**293**
Shri Jitin Prasada	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 57TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY – LAID	**293**
Dr. Chandra Sekhar Pemmasani	
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	**294 – 302**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**303 - 17**
Shri Rudra Narayan Pany	**303**
Shri Arun Kumar Sagar	**304**
Dr. Nishikant Dubey	**305**
Shri Bharatsinhji Shankarji Dabhi	**305**
Shri Ganesh Singh	**306**
Shri Vishnu Dayal Ram	**306**
Shri Anup Sanjay Dhotre	**307**

Dr. Hemant Vishnu Savara	307
Shri Tejasvi Surya	308
Shri Bidyut Baran Mahato	308
Shri Naba Charan Majhi	309
Shri Radheshyam Rathiya	309
Shri V. K. Sreekandan	310
Shri S. Supongmeren Jamir	310
Shrimati Geniben Nagaji Thakor	310
Shri Benny Behanan	311
Shri Dharmendra Yadav	311
Shri Rajeev Rai	312
Shri A. Mani	313
Shri Arun Nehru	314
Shri Putta Mahesh Kumar	314
Shri Kaushalendra Kumar	315
Dr. Rajkumar Sangwan	315
Shri E.T. Mohammed Basheer	316
Shri Hanuman Beniwal	317
RAILWAYS (AMENDMENT) BILL (Contd. – Concluded)	318 - 32
Shri Ashwini Vaishnaw	318 - 28
Motion for Consideration – Adopted	329
Consideration of Clauses	329 - 32
Motion to Pass	332

DISASTER MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL (Inconclusive)	333 - 63
Motion for Consideration	333
Shri Nityanand Rai	333 - 36
Dr. Shashi Tharoor	337 - 45
Shri Trivendra Singh Rawat	346 - 49
Shri Kalyan Banerjee	350 - 62
Shri Ram Shiromani Verma (Speech Unfinished)	363

xxxx

(1100/YSH/SM)

(Q. 221)

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, the MeitY AI experts say that almost 97 million new AI jobs are projected to be created by 2025 and 85 million jobs are projected to replace the conventional jobs. The *Economic Survey* also says that 78.5 lakh non-farm jobs need to be created in 2030.

However, FutureSkills Prime has only 3.37 lakh candidates having completed their courses while you had a target of 18.56 candidates. At this rate, how does the Government strategise to match the quantum of fulfilling the future need of these jobs?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker Sir, the hon. Member has raised the question basically about the entire AI landscape which is emerging. I would like to give a little bit of background to this question. Hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi believes in democratising technology.

We have seen how some of the Congress leaders used to treat technology. They used to feel that technology cannot be used by the poor people … (*Interruptions*) But in our case, the hon. Prime Minister has given the technology right into the hands of the poorest of the poor and same is the case with the AI Mission.

A very comprehensive IndiaAI Mission has been started, which has seven pillars, and all these seven pillars are very well thought through. The first pillar is creating AI compute facility, the second pillar is creating a skill framework; the third pillar is to create start-up financing; the fourth pillar is creating an innovation centre; the fifth pillar is about data sets platform; the sixth pillar is about creating new applications and the last pillar is about having a safe and trusted AI.

The hon. MP has raised the question as to how many people have got enrolled in the FutureSkills Prime. As on today 8.6 lakh candidates have enrolled in FutureSkills Prime platform, and this is again a platform which has been created in collaboration with the industry. So, the training which is given is very relevant to what the industry today needs.

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): I think you are missing the question. प्रश्न यही है कि आप साढ़े आठ करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप साल के सिर्फ तीन लाख लोगों को ही ट्रेंड कर पाए हैं। It is not sufficient. Therefore, what is your plan? That is the question.

Sir, thank you for running the House today because yesterday also you were trying to run the Question Hour and clearly the BJP was disrupting it. लेकिन आप जो 27 डेटा लैब्स बना रहे है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सर, मैं 27 डेटा लैब्स का प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप जो डेटा लैब्स बना रहे हैं तो इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र सांगली जैसे छोटे शहरों में भी you will bring in these Data Labs and they may be beneficial. आज किसानों को भी एआई की जरूरत है। उनको स्किलिंग करने की जरूरत है, चाहे वह खेती के लिए हो या बाजार के लिए हो। क्या उनकी स्किलिंग करने का आपका कोई प्रयोजन है और अगर है तो वह कब से है?

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का मिशन हाथ में लिया है। इसीलिए ये जो एआई डेटा लैब्स बन रही हैं, वे टीयर-2 और टीयर-3 सीटीज़ में बन रही हैं। अगर आप देखें तो इनमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, शिमला उसके बाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर सिटीज़ हैं। एक तरह से पूरी लिस्ट आपके आन्सर में आपको दी गई है और सदन के पटल पर भी रखी गई है। हमारी कोशिश यह है कि देश के टीयर-2 और टीयर-3 सीटीज़ में स्टार्टअप्स हों, एआई लैब्स हों, 5G लैब्स हों, सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हों तो यह सब एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में न होकर, देश भर में फैले।

(1105/RP/RAJ)

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Sir, India has been ranked among the top four countries along with US, China, and UK in the AI ranking with the global share of 24 per cent. Sir, as per another ranking mentioned in the answer, we are at the top with the global share of 24 per cent of all projects. It shows India has a huge potential to explore the essentials of AI. Various sectors in our country are witnessing fast adoption of technologies based on artificial intelligence. Artificial intelligence has the potential to address many critical challenges but, at the same time, it raises some serious concerns, including data privacy, ethical usage, etc.

Sir, there is no legal framework to govern the usage of artificial intelligence. So, I would like to know whether the Government is planning to bring any legislation for regulating the usage of AI in the country.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker Sir, yes, it is a major challenge that societies across the world are facing because the way the accountability of social media is established in case of using fake news, in case of developing fake narratives, all those accountabilities have to be really established in the society, and the legal framework has to change. But, a lot of consensuses is required to be created around this because these are issues where the freedom of speech comes on the one hand and the accountability and having a proper real news network getting created comes on the other hand. So, these are things which, basically, need to be debated. If the House agrees, and if there is a consensus in the entire society, we can come up with a new law. We are open to that idea.

On the point of privacy, I would like to share with you, hon. Speaker Sir, that we have created eight projects for developing tools, and technologies within our country so that the emerging landscape of AI can be dealt with the tools and technologies that are available and developed within the country. The list of the projects is given in the answer and it is laid on the Table of the House. So, I do not want to repeat that.

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Sir, I would like to ask about the initiative that the Government has undertaken to promote a responsible AI development in key sectors like health, finance, education. How do we monitor or evaluate its effectiveness?

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय स्पीकर सर, यह बात सही है कि एआई का सबसे अधिक उपयोग होने वाला है। इसका ऐसे सेक्टर्स में उपयोग होने वाला है, जिससे कि जन-जन के जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ सके – एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थकेयर सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, फाइनैंशियल सेक्टर, इन सभी में एआई की ऐप्लिकेशंस जो देश के काम में आएं, देश की जरूरत के अनुसार हों उनको डेवलप करने के लिए एआई मिशन के सात पिलर्स में से एक बड़ा पिलर ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट है। रिस्पांसिबल यूज ऑफ एआई के लिए आठ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिनमें आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की, एनआईटी रायपुर, पुणे, आईआईटी दिल्ली, आईआईआईटी दिल्ली, इस तरह के बड़े इंस्टिट्यूशंस के साथ मिल कर

आठ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिन प्रोजेक्ट्स से टूल्स डेवलप हों, जो रिस्पाँसिबल एआई के लिए काम आएं।

माननीय अध्यक्ष जी, एआई में बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी हैं उन एथिकल इश्यूज को भी एड्रेस करना जरूरी है। यह एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए दुनिया भर में इस पर डिबेट भी हो रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि एआई के बारे में जो ग्लोबल विचार करने वाले देश हैं, भारत उनमें one of the leading countries है और ग्लोबल पार्टनर्शिप ऑन एआई (जीपीएआई) का चेयर भी लास्ट इयर भारत ने किया था एवं सब्मिट भारत में हुआ। आज भी ओईसीडी एवं अन्य सभी देशों के साथ, यूएन के साथ जितने भी डिसकशंस होते हैं, उसमें भारत की बात को सबसे ज्यादा महत्व दी जाती है।

(1110/KN/NKL)

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात बहुत दिनों से बोल रहा हूं। मैं सात साल से बोल रहा हूं। मैं बंगाल से एमपी हूं और आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं। मेरी एक ही बात है कि हमारे यहां रेल फाटक पर बहुत बुरा हाल है। यदि वहां रेल रुक जाती है तो एक घंटे, दो घंटे या चार घंटे तक के लिए रुक जाती है। मैं वहां बोलता हूं कि मिनिस्टर साहब हैं और वे अच्छे हैं। मैंने उनको बोला है कि हम वहां अंडरपास चाहते हैं।… (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न रेलवे का नहीं है। यह प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न है।

क्वेश्चन नंबर 222 – डॉ. कडियम काव्य।

(Q.222)

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): Sir, it is about the integrated coach factory. Over the decades, there has been a demand and agitation for the establishment of an integrated coach factory at Kazipet. This was also assured in the AP Reorganisation Act, 2014. However, a letter from the Ministry now mentions the plans to develop a railway manufacturing unit at Kazipet. Hence, I request the hon. Railway Minister to give a clarity on whether an integrated coach factory will be established at Kazipet or not.

The second question is regarding re-alignment of railway bypass lines. The Government of India has proposed two railway bypass lines on either side of the Warangal city in Telangana. The two bypass lines – one from Nashkal to Hasanparthy and another from Nashkal to Chintalpalli – are dividing the Warangal city in a triangular manner, passing through valuable agricultural lands and residential zones, jeopardising the city's planned expansion, and affecting the overall growth of the city. It also affects the Mamnoor Airport area where the Government of India has recently given approval for the operation of domestic flights. Will the hon. Minister of Railways be pleased to inform the action taken to re-examine the proposals of bypass lines which are trisecting the Warangal city and hampering the overall development of the city?

Sir, the next question is regarding formation of a new railway division at Kazipet. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको दूसरी सप्लीमेंट्री दे देंगे।

श्री अश्विनी वैष्णव : ऑनरेबल स्पीकर सर … (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only one supplementary question is allowed now.

श्री अश्विनी वैष्णव : सर, क्वेश्चन वैसे तो स्टेशन से रिलेटिड है। माननीय सांसद जी ने जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है, काजीपेट में जो रेलवे मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट बन रही है, उससे संबंधित है और दो बायपास लाइंस का है। I would still like to address it. काजीपेट में जो रेलवे मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट बन रही है, वह एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत् भारत सरकार ने जो प्रॉमिस किया था, उसके तहत बन रहा है। आज रेलवे में एक फ्लेक्सिबल मैन्यूफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केवल कोच बनाए या केवल इंजन बनाए, वह एक पुरानी पद्धति थी। आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी और खासकर मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व हो रही है, उसमें एक फ्लेक्सिबल मैन्यूफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है, इसलिए काजीपेट को रेल मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। काजीपेट की इस यूनिट में काम बहुत अच्छा चल रहा है। आरवीएनएल उसके कंस्ट्रक्शन का कान्ट्रैक्टर है। काम काफी अच्छी तेजी से चल रहा है। साथ

ही साथ, माननीय सांसद जी ने जो दोनों बायपास लाइन्स के बारे में कहा है, जितने बड़े शहर हैं, उसमें रेलवे का एक मास्टर प्लान बनकर आने वाले 20, 25, 50 वर्षों के लिए कैसे मूवमेंट होना चाहिए, किस तरह से ट्रैफिक का फ्लो होना चाहिए, उस विचार के साथ देश में जितने भी बड़े शहर हैं, उन सब के लिए एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। बायपास लाइन उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। फिर भी माननीय सांसद जी का अगर उसमें कोई पॉइंट है, जो ध्यान में लाना चाहती हैं, खासकर किसानों की जमीन के बारे में कह रही थीं, तो वह जरूर आएं और उनकी डिटेल्स शेयर करें। उसको एड्रेस करेंगे।

(1115/VR/VB)

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): Sir, my question is with regard to the formation of a new railway division at Kazipet. The Government of India has decided to form a new railway zone with Visakhapatnam as headquarters and forming Raigad as a division. With the new zone coming up, there is every justification for forming another division on the Central Railways because Vijayawada, Guntur and Guntakal divisions are now on the South Central Railways which will be merged in the new Visakhapatnam Zone leaving only Secunderabad, Hyderabad and Nanded divisions for the South Central Railways.

Sir, I would like to know the steps taken for formation of the new division at Kazipet as its headquarters, which is contributing majorly for the earnings of the Railways.

The second question is with regard to increasing the number of platforms at Kazipet railway station. Presently, there are only three platforms existing at the Kazipet railway station. Around 60 passenger trains and 15 to 20 goods trains are passing through the station daily. This is located on the Secunderabad-Balharshah, Balharshah-Vijayawada and Secunderabad-Vijayawada routes. Three directional trains are passing through this Kazipet railway station. Due to lack of sufficient platforms, the passenger trains are being stopped at outer stations, which is resulting in inconvenience to the passengers and causing delay in the train timings.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker, Sir, the hon. Member has raised the issue of development of Kazipet railway station. I would like to inform the hon. Member and I am sure she also knows about it that the Kazipet railway station is totally reconstructed and being developed as part of the Amrit Bharat Station Scheme. In fact, in Telangana, 40 stations are being developed as Amrit

Bharat stations, and a very large amount of investment is being done in these stations. Kazipet is one of those stations.

Regarding the new division at Kazipet, I would like to mention that the fund allocation has increased for this project. Earlier the demand used to come primarily because of the lack of funds in a particular area. But that has now changed. Today, Telangana is getting a record allocation. This year, it has got Rs.5,336 crore. If we compare it with the allocation during the UPA period for Andhra and Telangana, the combined allocation used to be Rs.886 crore. The allocations today are record allocations. So, creating a division just for the sake of asking more funds is not required.

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you very much, hon. Speaker, Sir.

My question to the hon. Minister is regarding the Amrit Bharat Station Scheme. The Ministry has announced 1324 stations, which have been identified for the redevelopment, including 77 stations in the State of Tamil Nadu. So, what has been the update with respect to these railway stations in our State? I have given a representation with regard to Saidapet railway station in my constituency as well as the redevelopment works of Chennai Egmore. Thank you very much.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker Sir, this supplementary is actually not related to the main question. But still I would like to point out that the hon. Prime Minister has really focused on transformation of tge Indian railways. And, part of that, one of the major programmes that we have taken up is redevelopment of about 1300 railway stations. At this point of time, this is the world's largest railway stations redevelopment programme. Nowhere in the world has anybody taken up the redevelopment of such a large number of stations in a network which is continuously operating.

I would like to pronounce Chennai Egmore as Chennai Elumbur. So, Chennai Elumbur station is one of the Amrit Bharat stations. It is being developed very well. I have visited that twice. The design and the enthusiasm of the officers working on that project is really amazing. I can say that that will be one of the stations which will become a prime attraction in the city of Chennai.

Regarding other stations, the hon. Member of Parliament can always meet me and discuss it in detail. (ends)

(1120/PC/SAN)

(प्रश्न 223)

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे खगड़िया लोक सभा में एक अलौली रेलवे स्टेशन है, जहां सिर्फ मालगाड़ी ट्रेनों का ही परिचालन किया जा रहा है। वहां अभी तक पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत नहीं की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि वहां पैसेंजर ट्रेन कब से शुरू होगी?

इसके साथ ही साथ खगड़िया लोक सभा क्षेत्र में 'खगड़िया-कुशेश्वर रेल परियोजना' का काम बहुत लंबे समय से अधूरा पड़ा है। वहां रेल पटरी बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा?

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में ट्रैडिशनली रेलवे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक लंबे समय तक बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा। जिस पर्टिकुलर रेल लाइन के बारे में मान्यवर सांसद जी ने कहा है कि उस पर केवल मालगाड़ी चलती है, पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है, उसके बारे में मैं जानकारी लेकर मान्यवर सांसद जी को जरूर बता दूंगा।

मान्यवर अध्यक्ष जी, बिहार के प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि बिहार के लिए भारत सरकार ने, प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने करीब नौ गुना एलोकेशन बढ़ाया है। वर्ष 2009 से वर्ष 2014 वाले पीरियड में मात्र 1,132 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था, वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए दस हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन है।

मान्यवर अध्यक्ष जी, बिहार में नए ट्रैक्स बिछाने का जो काम है, उसमें भी बहुत अच्छी तेजी आई है। यूपीए सरकार के समय करीब 60 किलोमीटर का काम प्रतिवर्ष होता था, अभी 167 किलोमीटर पर-इयर का काम हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से और तेजी से रेलवे का डेवलपमेंट हो, ओवरऑल स्टेशन्स का डेवलपमेंट हो, नई लाइंस बनें, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो, इन सब पर तेजी से काम चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप सप्लिमेंट्री पूछेंगे?

… (व्यवधान)

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैंने खगड़िया लोक सभा के महेशखूंट-गोगरी पथ पर एक आरओबी के निर्माण के लिए पहले भी कहा है। मैं जानना चाहूंगा कि इस आरओबी का निर्माण कब तक पूरा होगा, क्योंकि घंटों वहां पर यात्रियों को इंतज़ार करना पड़ता है? अत: मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहूंगा।

मैं माननीय मंत्री जी से इसलिए ज्यादा उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं पहली बार जीतकर आया हूं। बिहार में सबसे पिछड़ा लोक सभा क्षेत्र मेरा है। इसलिए, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से मेरे लोक सभा क्षेत्र की ओर हो। माननीय मंत्री जी ने मेरे खगड़िया लोक सभा क्षेत्र में पहली राजधानी ट्रेन देकर मेरे उत्साह को बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से

खगड़िया लोक सभा क्षेत्र की जनता ने आपकी तरफ निगाह बनाकर रखी हुई है, उसी प्रकार आप भी अपनी सकारात्मक निगाह वहां पर रखें। धन्यवाद।

श्री अश्विनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद महोदय ने आरओबी की बात की है। उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है तथा उसको और एक्सपिडाइट भी किया जाएगा।

मान्यवर अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह भी रखना चाहूंगा कि आरओबी/आरयूबी बनाने के काम में, फ्लाईओवर-अंडरपास के काम में बहुत अच्छी तेजी आई है। जहां दस वर्षों में मात्र 4,000 आरओबी/आरयूबी बने थे, पिछले दस वर्षों में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क में करीब 12,000 आरओबी/आरयूबी बने हैं। कहां 4,000 थे, कहां 12,000 हो गए हैं। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। वर्ष 2023-24 तो एक रिकॉर्ड वर्ष रहा है। एक साल में 1,000 से ज्यादा आरओबी और आरयूबी बने, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सैटिस्फाइंग काम हुआ है। आपके इस पर्टिकुलर आरओबी के लिए भी पूरा ध्यान देकर उसको एक्सपिडाइट किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री पप्पू यादव जी।

… (व्यवधान)

(1125/IND/SNT)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : माननीय मंत्री जी, आप दो-तीन बातें समझिए।

माननीय अध्यक्ष : आप मंत्री जी को मत समझाएं, आप प्रश्न पूछें।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : माननीय मंत्री जी, कोरोना के समय आपने बिहार में जो भी पैसेंजर ट्रेनें बंद की थीं, उनमें से एक भी पैसेंजर ट्रेन आज तक नहीं चली है। आप कनेक्टिविटी की बात भी कहते हैं। बिहार का आधार पर्यटन का है। मैंने आपसे कई बार हाथ जोड़कर आग्रह किया है, प्रधान मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं, वह पूरी नहीं होती है। कोसी में शिवहर और सीतामढ़ी, इसके अलावा बोधगया, राजगीर, वैशाली आदि जगहों को आप पर्यटन की दृष्टि से नहीं जोड़ पाए। कुरसेला से बिहारीगंज, बिहारीगंज से भीम नगर नहीं जोड़ पाए। इसके लिए मैं आपसे 190 करोड़ रुपये की मांग कर रहा हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जवाब दें।

श्री अश्विनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, वैसे तो माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है और केवल अपना विचार रखा है। हम इनके विचार का सम्मान करते हैं।… (व्यवधान) महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जितना काम बिहार में इन दस वर्षों में हुआ है, वह ऐतिहासिक है। एलोकेशन ऐतिहासिक है, काम ऐतिहासिक है। याद कीजिए कोसी का ब्रिज कितने वर्षों से पेंडिंग था। उस ब्रिज का काम प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कम्प्लीट किया। अध्यक्ष जी, यदि एक-एक करके प्रोजेक्ट गिनाने लगें तो आप देखेंगे कि बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है। यह काम की गति

और भी आगे बढ़ेगी। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसे कोऑपरेट करें। माननीय सदस्य रेलवे के बहुत पुराने और अच्छे जानकार हैं। आपके यहां रेलवे की बहुत अच्छी फैक्टरी भी बनी है। आप रेलवे के संबंध में और अच्छे सुझाव दें। उन सुझावों को लेकर साथ मिलकर काम करेंगे और बिहार को मजूबत, सशक्त और समृद्ध प्रदेश बनाने का काम करेंगे।

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन और इंदौर-जबलपुर रेल लाइन के लिए हम अपेक्षा रख रहे हैं कि छिंदवाड़ा से लेकर सागर तक सीधा जुड़ाव हो जाएगा। इस नई रेल लाइन से हमारी 15 से 20 लाख जनसंख्या को लाभ मिलेगा और नागपुर से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस नई रेल लाइन को देने से छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, करेली, तेंदूखेड़ा और सागर तक मध्य प्रदेश को नई गति मिलेगी।

श्री अश्विनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश के लिए एलोकेशन भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में दस साल पहले साल का मात्र छह सौ करोड़ रुपये का एलोकेशन होता था लेकिन आज रिकार्ड संख्या में 14538 करोड़ रुपये का एलोकेशन है और कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं। काम की गति बहुत बड़ी है और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सागर-छिंदवाड़ा के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की है, वे दो दिन पहले आए थे। डिटेल में उनके साथ चर्चा हुई। बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र आता है और उस क्षेत्र के कारण प्रोजेक्ट की लागत बहुत ज्यादा हो रही थी। माननीय सदस्य के साथ मध्य प्रदेश के करीब आठ सांसद भी आए थे। उस पहाड़ी क्षेत्र को बायपास करके यदि दूसरा एलाइनमेंट बने, इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को एश्योर करना चाहूंगा कि नया डीपीआर बनाने का काम जल्दी सैंक्शन कर देंगे, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र को बायपास करके दूसरा एलाइनमेंट बन सके। यदि यह फिजिबल होता है तो उसे एग्जामिन करने के लिए नया डीपीआर सैंक्शन कर सकते हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, जैसे पप्पू जी ने भी चर्चा की कि कोरोना काल के समय कई ट्रेंने बंद की गईं। इसी तरह का शिकार हमारा क्षेत्र आजमगढ़ भी हुआ। आजमगढ़ के ज्यादातर लोग व्यापारिक कारण से, पढ़ाई के कारण से ज्यादा कनेक्शन मुम्बई के साथ है। आजमगढ़ से मुम्बई के लिए ट्रेन चलती थी। कोरोना काल के समय वह ट्रेन बंद कर दी गई और आज तक वह ट्रेन बंद है।

अध्यक्ष जी, कोरोना काल आया जरूर था और संक्रमण का वह दौर गुजर गया लेकिन उस संक्रमण के दौर के गुजरने के बाद जब स्थिति सामान्य हो गई है, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई है, सब सामान्य हो गया है तो आखिर जनसामान्य की सुविधाएं क्यों दोबारा शुरू क्यों नहीं की जा रही हैं? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस बात का जवाब दें कि आजमगढ़ से मुम्बई के लिए ट्रेन कब तक शुरू करेंगे?

(1130/RV/AK)

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो यह सप्लीमेंट्री प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाहूंगा कि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं है। ट्रैक्स की मेनटेनेंस बहुत ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, वैज्ञानिक तरीके से हो, इसके लिए ट्रैक्स को कम से कम तीन-चार घंटे तक फ्री रखना पड़ता है। दुनिया के कई देशों में ट्रैक्स को मेनटेनेंस के लिए 6 घंटे तक फ्री रखा जाता है। लेकिन, अपने यहां चूंकि रेलवे को 50-60 वर्षों तक नेग्लेक्ट किया गया था, इसमें इंवेस्ट नहीं किया गया, पर अब इंवेस्टमेंट आया है, अब नए ट्रैक्स बन रहे हैं। एक नयी पद्धति से काम करने का प्रयास चल रहा है।… (व्यवधान) इसमें आई.आई.टी., बॉम्बे के साथ मिलकर पूरे टाइम टेबल को रेश्नलाइज्ड करके ऐसी व्यवस्था की गयी थी, जिसमें हर सेक्शन को रेगुलर्ली मेनटेन करने के लिए एक पीरियड ऐसा मिले, जिसमें उसके ट्रैक्स के मेनटेनेंस के लिए समय मिल सके। इसके कारण कई स्टॉपेजेज हटाने पड़े थे और कुछ गाड़ियां भी री-शिड्यूल्ड करनी पड़ी थीं, लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे-जैसे नए ट्रैक्स बन रहे हैं, पिछले साल 5,300 किलोमीटर के नए ट्रैक्स बनाए गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।… (व्यवधान) पूरे स्विट्ज़रलैंड का रेल नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है। उससे ज्यादा रेल नेटवर्क भारत में एक साल में बढ़ा है।… (व्यवधान) जैसे-जैसे नए रेल ट्रैक्स बन रहे हैं, नयी ट्रेन्स भी चालू की जा रही हैं, नए तरह की ट्रेन्स भी चालू की जा रही हैं।… (व्यवधान) वन्दे भारत एक्सप्रेस चालू की गयी, अमृत भारत ट्रेन चालू की गयी।… (व्यवधान) इस साल मेमू के 600 कोचेज़ बने।… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : आप आज़मगढ़ के बारे में जवाब दीजिए। मेनटेनेंस का काम केवल आज़मगढ़ के लिए नहीं हो रहा। … (व्यवधान)

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, ओवरऑल, इन दस वर्षों में रेलवे का कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आने वाले पाँच वर्षों में और भी कई नई सुविधाएं बनाने के लिए मोदी जी की सरकार बहुत ही मेहनत करके तेज काम कर रही है।… (व्यवधान)

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, Sir. … (*Interruptions*) Through you, I would like to ask the hon. Railway Minister a supplementary question on rail connectivity. … (*Interruptions*)

Sir, my Constituency has one complete side of about 140 kms. from Krishnanagar to Karimpur where about 12 lakh people are without rail connectivity. … (*Interruptions*) I have met the hon. Minister about two-and-a-half years ago and he had very kindly agreed to a feasibility survey. This feasibility survey was supposed to be ready by December, 2023 and then action was to be taken. However, no report was given. Can you please let us know about the status of connectivity on the Krishnanagar-Karimpur line? Thank you, Sir.

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेकर उसे मैं माननीय सांसद जी को पहुंचा दूंगा।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : सर, महाराष्ट्र में रेल मंत्रालय का काम सचमुच अच्छा हो रहा है और उनकी टीम को मैं बधाई दूंगी। इनकी मैं हमेशा प्रशंसा इसलिए करती हूं, क्योंकि सफाई के मामले में रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन, महाराष्ट्र में मिराज, जेजुरी, बारामती और दौंड रेलवे स्टेशंस हैं, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, इन पर ट्रेनों की स्टॉपेजेज़ कम हो चुकी हैं। मैं आपको दौंड रेलवे स्टेशन का उदाहरण दूं। वहां पहले 80 ट्रेन्स रुकती थीं, पर आज वहां मात्र 40 ट्रेन्स रुकती हैं। वह एक बहुत बड़ा जंक्शन है। Part (e) of the Question states that : "… socio-economic benefits anticipated for these States".

सर, दौंड, जो एक बड़ा जंक्शन था, बारामती, जो आज इतना ग्रो हो रहा है, अगर आप इन जगहों पर ट्रेनों के स्टॉपेजेज़ को कम करेंगे तो यहां इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे होंगे? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टॉपेजेज़ कर रहे हैं, ऐसा जवाब मंत्री जी ने बहुत बार दिया है, लेकिन उनसे मेरी विनती है कि वे स्टॉपेजेज़ को कम न करें, बल्कि दूसरे कुछ उपाय करें, जिससे एफिशिएंसी बढ़े।

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का जो काम हो रहा है, आपने उसकी तारीफ की। इसको आपने सराहा, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि पुणे-दौंड एरिया इतना महत्वपूर्ण एरिया है कि उसके लिए टोटल एक अलग मास्टर प्लान बनाकर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बना है। पुणे की कपैसिटी को दोगुना करने के लिए उरुली में एक मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है। पुणे जंक्शन को टोटली री-मॉडेल्ड करके री-डेवलप किया जा रहा है। शिवाजी नगर स्टेशन को टर्मिनल बनाने का प्रयास है। फिर पुणे से लोनावाला के लिए तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाने का काम है। फिर अहमदनगर से पुणे के बीच नई रेल लाइन बनाने का काम है।

(1135/GG/UB)

ओवरऑल उस एरिया के लिए बहुत सारा डेवल्पमेंट करने के काम हाथ में लिए गए हैं और प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में अभी करीब-करीब एक लाख 64 हज़ार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट रेलवे का विभिन्न प्रोजेक्ट्स में हो रहा है और इससे महाराष्ट्र के रेलवे नेटवर्क का टोटल ट्रांस्फॉर्मेशन होगा। जैसे पूरे देश में रेलवे नेटवर्क का ट्रांस्फॉर्मेशन हो रहा है, वैसा ही आपके क्षेत्र में भी होगा। साथ ही, मैं स्टॉपेजिस के बारे में फिर एक बार बताना चाहूंगा कि जैसे-जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़े, वैसे-वैसे मेंटेनेंस के लिए स्कोप बनता है, मेंटेनेंस के लिए एक मार्जिन मिलता है, टाइम मिलता है, तो उसके हिसाब से भविष्य में जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, वैसे स्टॉपेजिस पर रीकंसीड्रेशन किया जा सकता है। अभी हमको इस नेटवर्क को सेफ रख कर अच्छे तरीके से चलाने का मेजर फोकस रख कर आगे चलना चाहिए।

अध्यक्ष जी, जिस तरह से काम अभी चल रहा है, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस थर्ड टर्म में तीन गुना मेहनत करनी है तो इस तीन गुना मेहनत से जो परिणाम आएंगे, इन पांच वर्षों से रेलवे एकदम ट्रांस्फॉर्म हो कर निकलेगा।

डॉ. संबित पात्रा (पुरी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि रेल केवल एक कनेक्टिविटी का सूत्र ही नहीं है, यह एक इमोशन का भी सूत्र है। चूंकि मैं जगन्नाथ पुरी से आता हूँ, मुझे लगता है कि सभी लोग, जो प्रस्ताव मैं रखने वाला हूँ, माननीय मंत्री जी भी ओडिशा से आते हैं और हमेशा से हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, उस प्रस्ताव को सभी स्वीकार करेंगे। कोई भी ट्रेन से ओडिशा जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं तो यह इच्छा होती है कि कम से कम प्रसाद ले कर वापस जाएं। आज मैं रेल मंत्रालय को प्रस्ताव देना चाहूंगा कि हमारे जो मंदिर के प्रशासक हैं, जिसको मंदिर कमिटी कहते हैं, पुरी के गजपति महाराज हैं, जगन्नाथ मंदिर का हमारा जो सेवायत है और जो मुक्ति मंडप है, जहां पंचांग बनता है, उनके साथ एक बार चर्चा कर इस विषय पर प्रयास करें कि क्या यह संभव है कि ओडिशा के मुख्य रेलवे स्टेशन जैसे भुवनेश्वर, कटक, पुरी, बोलेश्वर इत्यादि में क्योस्क नहीं, टेंपल सेंटर बना कर, वहां पर सेवायतों के माध्यम से सूखा प्रसाद वितरित करने की व्यवस्था करते हैं, तो जो भी यात्रीगण वहां से जाते हैं, वे महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करेंगे और कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को सम्मान मिलेगा। मैं यह विषय माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद, संबित भाई ने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को डीटेल में एग्ज़ामिन करना चाहिए। क्योंकि मंदिर के प्रसाद के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं तो उसके प्रसाद को किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उसकी हैंडलिंग हो, इन सभी विषयों पर बहुत ही ध्यान रख कर ही काम करना चाहिए। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वे डीटेल में चर्चा करें और जितने भी मंदिर के प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ बातचीत कर के ही कोई फैसला आगे लेना चाहिए।

(इति)

(प्रश्न 224)

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, सोलर एनर्जी में आज-कल एक बहुत प्रचारित कार्यक्रम चल रहा है, जिसका नाम 'प्रधान मंत्री सूर्य घर योजना' है। मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसमें एक किलोवॉट से ले कर 10 किलोवॉटर तक, 65 हज़ार रुपये से ले कर पांच लाख रुपये तक की कीमत रखी गई है, जो निश्चित रूप से वेंडरों से मिल कर जरूरत से ज्यादा कीमत है। उसमें उपभोक्ताओं को 20 हज़ार से रूपये से लेकर तीन लाख, 92 हज़ार रुपये तक देने पड़ रहे हैं।

अध्यक्ष जी, हमारे यहां तो जो गरीब बिजली उपभोक्ता हैं, खास कर के बुनकर उपभोक्ता पांच सौ रुपये तक के बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए छापेमारी की एक व्यवस्था शुरू की गई है। लाखों रुपये की अवैध वसूली रोज होती है और यह बड़ा इश्यू बना हुआ है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए इस तरह की कीमत रखी गई है? मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहां 19 हज़ार घरों का लक्ष्य है और अब तक सिर्फ 98 घरों में लगे हैं और उनमें से भी एक को भी सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस दाम को सरकार कम करेगी? सब्सिडी सही समय पर मिले या ज़ीरो पेमेंट पर या मिनिमम पेमेंट पर आप लगा सकें तो यह कार्यक्रम भी सही चलेगा, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और भ्रष्टचार भी कम होगा। साथ ही, हमारे बुनकर भाइयों को लूटने से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे?

(1140/MY/SRG)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमों के माध्यम से प्रयास किया है कि देश में सोलर एनर्जी बढ़े। आज हम जिस पावर के ऊपर डिपेंड हैं, सोलर एनर्जी की ताकत से हम धीरे-धीरे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होंगे।

माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अब तक हमने छह स्कीम्स तैयार की हैं। जैसा सांसद जी ने कहा है, हम निश्चित तौर से उनको बताना चाहेंगे कि पहले इसकी कॉस्ट प्रति यूनिट छह रुपये से ज्यादा आती थी। अब हम प्रति यूनिट ढाई रुपये पर आ गए हैं। अब जिस तरह से रिनोवेशन हो रहा है, उससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जिस तरह से माननीय सांसद ने कहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इन स्कीमों के माध्यम से आगे हम लोगों को कम कॉस्ट पर भी बिजली दे पाएं।

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, मेरा सवाल यह था कि संयंत्र लगाने में जो कॉस्ट आ रही है, उसकी वजह से 19 हजार के बनिस्पत केवल 98 घरों पर लगे हैं। उसकी कॉस्ट कम करने की मैं बात कर रहा था। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और आ रहा है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप थोड़ा होमवर्क करके जवाब दें ताकि हम अपने क्षेत्रों में लोगों को आपकी तरफ से बता पाएंगे।

दूसरा, अभी सौर ऊर्जा की बात हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि देश के बड़े औद्योगिक घराने जैसे अडाणी वगैरह हैं, उनको इसमें कितना हिस्सा दिया गया है और क्या उनके इलाके में काम हो रहा है? इसके साथ ही उनसे जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदय, भारत सोलर एनर्जी में आत्म-निर्भर हो, इसके लिए हमने स्कीम भी तैयार की है। जो पीएलआई स्कीम है, यह ऐसी स्कीम है कि जो लोग खुद पावर बनाएंगे, उन तक यह स्कीम आगे गई ही नहीं है। इसके लिए सरकार ने कहीं भी अब तक पैसा नहीं दिया है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कार्बन उत्र्सजन को कम करने के लिए और सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेकों बहुत कारगर उपाय किये हैं। उनमें पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना और जनमन योजना शामिल हैं। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें करोड़ों की संख्या में उपभोक्ता स्वयं चलकर इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो खाली पड़ा हुआ है और वहां पेड़ भी नहीं हैं। वहां कैमूर की पहाड़ियां हैं। 15-20 किलोमीटर का एरिया है। क्या आप वहां पर एक बड़ा सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने के लिए उसका सर्वे कराएंगे? यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमने सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अलग-अलग स्कीम्स दे दी हैं। इसी तरह से जो सूर्य घर योजना है, उसमें हम घर के ऊपर तीन किलोवाट के लिए सब्सिडी देते हैं। पहले किलोवाट तक हम 30 हजार रुपये देते हैं, दूसरे किलोवाट तक 22 हजार रुपये देते हैं और तीसरे किलोवाट के लिए हम 18 हजार रुपये देते हैं। सूर्य घर योजना में हम करीब 70 हजार रुपये की सब्सिडी देते हैं। ऐसे ही हमारा संकल्प है कि इस सूर्य घर योजना में एक करोड़ हाउसहोल्ड में संयंत्र लगाना है।

महोदय, मैं सांसद जी को बताना चाहता हूं कि यह जो स्कीम है, इसे आपको खुद तैयार करना है। ग्रिड से जो पैसा मिलेगा, एग्रीमेंट के हिसाब से उसका जो रेट है, उसी तरह से आपको फायदा मिलेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि सोलर एनर्जी बनाने की स्कीम को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों में प्रोत्साहित करें। यही हमारी रिक्वेस्ट है।

(इति)

(1145/CP/RCP)

(प्रश्न 225)

श्री धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : महोदय, हरियाणा के बहुत से लोग हर रोज खाटू श्याम जी जाते हैं। हमारा सारा प्रदेश धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। ये समय-समय पर ट्रेन चला देते हैं। क्या मंत्री जी ट्रेन संख्या 9733 और 9734 को स्थायी करेंगे? साथ में, वहां जाने के लिए भिवानी से शीतल वाया लोहारू नई रेल लाइन बिछाने का भी क्या कोई प्रस्ताव इनके पास है? एक ट्रेन हिसार से चलती है, लेकिन सिवानी उसका स्टेशन नहीं है। ट्रेन संख्या 14717 और 14718, 22737 और 22738 का इस स्टेशन पर ठहराव हो। भिवानी जिले में बड़ा सब डिवीजन है, लेकिन हिसार से चलने के बाद वहां ट्रेन नहीं रुकती है। भिवानी के अंदर अंग्रेजों के समय से वाशिंग लेन चल रही थी। अब सुनने में आ रहा है कि उसे हिसार शिफ्ट किया जा रहा है। क्या आप उसे दोबारा बनवाएंगे?

श्री अश्विनी वैष्णव : मान्यवर, सांसद जी ने बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। मैं बताना चाहूंगा कि भिवानी और सीकर के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए झज्जर, चरखी, दादरी, लोहारू नई लाइन का 94 किलोमीटर का फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन किया है। एक बार डीपीआर बन जाए, उसके बाद उस पर आगे काम होगा।

खाटू श्याम जी, जो कि हम सबकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, उसके लिए रिंगस से खाटू श्याम जी की 17 किलोमीटर की नई लाइन सैंक्शन हो गई है। उसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो गया है। जिस स्टेशन की बात मान्यवर सांसद जी ने कही, उसके बारे में मैं जानकारी लेकर इनको दे दूंगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के तुगलकाबाद स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस 19119 एवं 19120 और फिरोजपुर-मुंबई के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस 19023 एवं 19024 का ठहराव कोविड काल के दौरान बंद कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार का लोगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को देखते हुए तुगलकाबाद स्टेशन पर उक्त रेलगाड़ियों के ठहराव को पुन: बहाल करने का कोई विचार है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री अश्विनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न हरियाणा का है। मैं आपके माध्यम से यह जरूर बताना चाहूंगा कि 10 साल पहले हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश का मात्र 315 करोड़ रुपये एनुअल एलोकेशन रेलवे का होता था। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हरियाणा को 3,383 करोड़ रुपये का एलोकेशन दिया है और हरियाणा में बहुत अच्छा काम तेजी से चल रहा है। वहां डबल इंजन की सरकार है।

साथ ही साथ, दिल्ली की बात मान्यवर सांसद जी ने कही। दिल्ली जैसे प्रदेश के लिए पहले मात्र 96 करोड़ रुपये का एलोकेशन साल का होता था। आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने 2,582 करोड़ रुपये का एलोकेशन दिल्ली के लिए किया है। मान्यवर सांसद महोदय ने जिन ट्रेन्स के स्टॉपेज की बात कही है, उसके बारे में मैं इंडीविजुअल जानकारी लेकर उनको बता दूंगा।

(इति)

(1150/PS/NK)

(Q. 226)

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Thank you, hon. Speaker, Sir.

I would like to ask a question through you to our hon. Prime Minister, who is very well available here. Will the share of power allocation from Kudankulam and Kalpakkam projects to Tamil Nadu be increased given the risk the State takes and the power need it has?

My second question is this. The answer says that twelve projects are under construction. But the list is only containing the details of 11 projects.

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, I appreciate the concern of the hon. Member for the projects falling in the State of Tamil Nadu. I would just like to tell her that this issue of the power share has been deliberated upon very extensively not only within the Department of Atomic Energy but more so with the Department of Power, Ministry of Power, and Ministry of New and Renewable Energy. The earlier formula, which was known as Gadgil Formula, made only about 15 to 20 per cent of the electricity available for the home State where it was being generated. In fact, that was revised, and as of today, 50 per cent of the electricity is available to the home State; 35 per cent of the electricity is available to the neighbouring States in the region; and 15 per cent of the electricity is unallocated which goes to the grid. And that has been by and large accepted as a consensus for all the States and Union Territories of the country. Considering the concept of 'One Nation' and 'Whole of Government', I think, that is in the true federal spirit as well.

Now, as far as the second part is concerned, it is just that one of the projects has been on hold in Rawatbhata. So, that is why, maybe the numerical difference that she is pointing out is there. But overall, she would be glad to know that Kudankulam is one project which had been envisaged somewhere around 1990. It was repeatedly visited, and revisited, but it was only after 2014 when Prime Minister Modi ji took over, that it has been made functional. Now, we have four units of Kudankulam which are made functional and so also Kalpakkam. The unique feature of all these power generation capacities is this. I am not speaking on my behalf, but I am speaking through the figures and statistics. In 2014, when this Government came, the total power generation capacity of India was 4,780 megawatts, which has almost doubled now in 2024 to 8,180 megawatts. So, the capacity developed in the last sixty years is equal to the capacity developed in the last ten years. And not only so, if we proceed by the same pace, our future projections reflect that by 2031-32, this generation capacity would increase three times from today, which is about

22,480 megawatts. This has been possible because we had the talent; we had the equipment; and we had the capacity, but what was lacking perhaps was the enabling milieu which is provided by the political leadership and that happened after 2014. A number of decisions were taken like bulk approval of ten reactors; extra allocations; decisions to have joint ventures with PSUs; and also, involvement of the private sector in a very limited manner of course. We have also diversified, not only confined atomic energy to generation of energy. As Homi Bhabha had rightly pointed out at the time of inception, India's nuclear programme will be dedicated for peaceful purposes. At that time, there was some controversy as Hiroshima had just happened. And today, we are living up to that vindication under the leadership of Prime Minister Modi.

Atomic energy is being extensively utilised in agriculture sector. Even for mutagenesis, we have produced 70 mutagenic crops. With the intervention of atomic energy, we have fortified foods. In health sector, we are among the first in the world to have come up with a new set of series of isotopes which are being used in the treatment of cancer. And similarly, in the defence sector, through the atomic energy process, we have come out with cost-effective and light-weight bullet-proof jackets.

These are just a few examples. Otherwise, we will go up for the whole day.

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Sir, my second question is this. The answer says that there are 12 projects which are under construction. But only 11 projects are listed here. Which is the 12th project? Kindly provide the project-wise completion date? Thank you.

(1155/SMN/SK)

DR. JITENDRA SINGH: If you go through in detail, it has been provided. We have provided the amount of construction that has happened and the amount of it left. On the exact date, it does not happen because sometimes in the process of the construction of the project, some of the imponderables come in. When we are expanding, sometimes there comes land acquisition issues, sometimes the forest clearance issue, sometimes the equipment has to be procured from another country. So, it is not easy to give an exact date but we have nine projects under construction; and with a total of 14, some of them are in the pre-project stage. Pre-project stage means that the construction has not *per se* started but it is in the process of obtaining clearance and the procedural works being accomplished. That is how, we have categorized it into two parts in the answer.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Mr. Speaker, Sir, for giving me this opportunity to ask the supplementary.

Sir, atomic power has become very important as far as our country is concerned. From the traditional system of generation of power, we are moving to atomic power.

One of the raw materials for atomic power is uranium and thorium and this is derived from monazite and in our country especially in the State of Kerala, in the beach sand minerals, we are having abundant availability of monazite. The Monazite is abundantly available in the coastal areas. We have derived it. The Indian Rare Earth Limited is there. But unfortunately, it is not being utilized properly. So, I would like to know from the hon. Minister that even by the Indian Rare Earth Limited, there is no value addition expansion project at the mother plant in my Constituency Chavara.

I would like to know from the hon. Minister whether by the Ministry of the Government of India which directly comes under the hon. Prime Minister whether some projects will be commenced so as to utilize this monazite to generate power and some value addition project will be implemented in IRE.

Thank you very much.

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, I appreciate the hon. Member's intervention whenever there have been any issues related to the atomic energy projects in the State of Kerala, he has always been very forthcoming and cooperative. He has rightly pointed out that India is proud to have one of the largest shares of Thorium in the world. We have 21 per cent of the total amount of Thorium available in the world and he has also rightly pointed out that monazite is the mineral from where it is extracted. So, monazite is one of those beach minerals. Earlier, we also confronted the issues of pilferage happening because some of the business houses would obtain permission to extract some other mineral and clandestinely also indulge in this. So, that also with the support of the hon. Member has been taken care of.

Now, as he has rightly pointed out, we are gradually moving in that direction and I think one of our indigenous projects called BHAVINI would make use of that. And that would be an experiment learning from which we will move on and certainly that will also reduce our dependence on uranium or also on the other materials to be obtained from the other countries.

(ends)

(pp. 21-30)

(Q.227)

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): Thank you hon. Speaker Sir.

Sir, the hon. Minister has given a detailed reply which is highlighting the planning and execution of rail infrastructure projects as well as the challenges in the Mangalore – Bangalore Rail line and also about the administrative issues of the SPV which is the HMRDL, which is a joint venture between the Indian Railways and the Government of Karnataka.

In this backdrop, I would like to ask the hon. Minister what is the Ministry's proposal to address the ghat stretch while we know that there is a feasibility study which is happening in the Shiradi Ghat Stretch. What is the progress in this feasibility for the new alignment?

Also, Sir, I would like to ask the hon. Minister one more thing. In the Mangalore city limit, Mangalore Central and Mangalore Junction come under the Southern Railway while the entire stretch between Mangalore and Bangalore comes under South Western Railway. I have also highlighted this fact and the Minister has also acknowledged the fact that Mangalore – Bangalore Rail line is a vital rail line. I would like to ask the Minister if there is any proposal in the Ministry for considering Mangalore city limit to be shifted to South Western Railway so that the entire rail line can be better managed considering the challenges existing in the rail line and its vitality.

(1200/SM/KDS)

श्री अश्विनी वैष्णव : मान्यवर सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है basically, the project was taken up by the State Government and the Ministry of Railways jointly. ज्वाइंट वेंचर में राज्य सरकार की तरफ से जो कॉंट्रीब्यूशन आना चाहिए that needs to come. Then only, the project can be taken forward. Speaker, Sir, as the Question Hour is going to be over, I will give the details individually to the hon. Member.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

QUESTION HOUR OVER

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाओं के बारे में घोषणा

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई, श्री तारिक अनवर, श्री पप्पू यादव के जो प्रिविलेज मोशन हैं, उनके विशेषाधिकार नोटिस प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 hours

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नम्बर – 2.

श्री डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्युक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्युक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेट्रोलोजी, पुणे के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेट्रोलोजी, पुणे के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉरमेशन सविर्सेज, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉरमेशन सविर्सेज, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल सेंटर फॉर पोलर एण्ड ओशियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर पोलर एण्ड ओशियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) हरिशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ मेथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ मेथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

1202 hours (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Fifteenth, Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Lok Sabhas:-

FIFTEENTH LOK SABHA

1. Statement No. 42 Eighth Session, 2011

SIXTEENTH LOK SABHA

2. Statement No. 30 Fifth Session, 2015
3. Statement No. 25 Eleventh Session, 2017
4. Statement No. 18 Sixteenth Session, 2018

SEVENTEENTH LOK SABHA

5.	Statement No. 24	First Session, 2019
6.	Statement No. 19	Second Session, 2019
7.	Statement No. 18	Third Session, 2020
8.	Statement No. 17	Fourth Session, 2020
9.	Statement No. 19	Fifth Session, 2021
10.	Statement No. 17	Sixth Session, 2021
11.	Statement No. 11	Seventh Session, 2021
12.	Statement No. 12	Eighth Session, 2022
13.	Statement No. 9	Ninth Session, 2022
14.	Statement No. 7	Tenth Session, 2022
15.	Statement No. 7	Eleventh Session, 2023
16.	Statement No. 4	Twelfth Session, 2023
17.	Statement No. 4	Fourteenth Session, 2023
18.	Statement No. 3	Fifteenth Session, 2024
	EIGHTEENTH LOK SABHA	
19.	Statement No. 1	Second Session, 2024

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Semi-Conductor Laboratory, SAS Nagar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Semi-Conductor Laboratory, SAS Nagar, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-Informatics (BISAG-N), Gandhinagar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-Informatics, (BISAG-N), Gandhinagar, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Electronics and Information Technology, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Electronics and Information Technology, New Delhi, for the year 2023-2024.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 56 of the Telecommunication Act, 2015:-

(i) The Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 720(E) in Gazette of India dated 22nd November, 2024.

(ii) The Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 723(E) in Gazette of India dated 22nd November, 2024.

(iii) The Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 724(E) in Gazette of India dated 22nd November, 2024.

(2) A copy of the Flight and Maritime Connectivity (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 682(E) in Gazette of India dated 4th November, 2024 under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Telematics, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Telematics, New Delhi, for the year 2023-2024.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, New Delhi, for the year 2023-2024 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Amethi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Amethi, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2023-2024.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2022-2023.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf of Shri Ravneet Singh, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 199 of the Railways Act, 1989:-

(i) The Rail Land Development Authority (Development of Land and Other Works) Amendment Regulations, 2024 published in Notification No. G.S.R. 568(E) in Gazette of India dated 12th September, 2024.

(ii) The Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Second Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 579(E) in Gazette of India dated 18th September, 2024.

(2) A copy of the Railway Claims Tribunal (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 500(E) in Gazette of India dated 14th August, 2024 under sub-section (3) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Konkan Railway Corporation Limited, Navi Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Konkan Railway Corporation Limited, Navi Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai, for the year 2023-2024 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Rail Vikas Nigam Limited, Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Rail Vikas Nigam Limited, Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Review by the Government of the working of the RailTel Corporation of India Limited, Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the RailTel Corporation of India Limited, Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Finance Corporation, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Indian Railway Finance Corporation, New Delhi, for the year 2023-2024 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Review by the Government of the working of the Wabtec Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Wabtec Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Review by the Government of the working of the Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the RITES, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report (Hindi and English versions) of the RITES, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(j) (i) Review by the Government of the working of the Braithwaite & Co. Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Braithwaite & Co. Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(k) (i) Review by the Government of the working of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(l) (i) Review by the Government of the working of the IRCON International Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the IRCON International Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(m) (i) Review by the Government of the working of the Container Corporation of India (CONCOR) Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Container Corporation of India (CONCOR) Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(n) (i) Review by the Government of the working of the National High Speed Rail Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the National High Speed Rail Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(o) (i) Review by the Government of the working of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Railway Sports Promotion Board, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Railway Sports Promotion Board, New Delhi, for the year 2023-2024.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the NRTU Foundation, New Delhi, for the year 2023-2024 (upto 17.1.2024), alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the NRTU Foundation, New Delhi, for the year 2023-2024 (upto 17.1.2024).

(6) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Rail Vikas Nigam Limited and the Ministry of Railways, for the year 2023-2024.

STATEMENT CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 272 DATED 24.07.2024 RE: (i) STATUS OF DIGITAL INDIA PROGRAMME AND (ii) GIVING REASONS FOR DELAY IN CORRECTING THE ANSWER – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, I rise to lay a statement (i) correcting the reply given on 24.07.2024 to Unstarred Question No. 272 asked by Sarvashri C.N. Annadurai, Navaskani K and Selvam G, MPs regarding 'Status of Digital India Programme' and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 57TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY— LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 57th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Department of Posts – Initiatives and Challenges pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.

(1205/MK/RP)

*लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे

1205 बजे

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : शून्यकाल।

माननीय श्री ईशा खान चौधरी जी।

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Hon. Chairperson, I am drawing the attention of the House, and of the Jal Shakti Ministry to an issue of immediate urgency and national importance. I have spoken earlier about the problem of river erosion in my Constituency of Malda Dakshin which includes Malda and Murshidabad districts.

This year my Constituency faces river erosion in all seven of my blocks. But, today, I want you to specially focus your attention on the large-scale problems of Manikchak block of Malda district. At Bhutni Island of Manikchak, which has a population of over two lakh, there has been a total collapse of the ring embankment which was constructed by late ABA Ghani Khan Choudhary, causing erosion, and, as a result, there were large-scale flood in all three Gram Panchayats of the Island. Even the sluice gates, which expel water back into the rivers, were ineffective, and the whole Island remained in a semi-submerged state for 50 days in August and September of this year. Around 80,000 families faced the brunt of this erosion caused by flooding, and approximately 15,000 houses were fully or partially damaged. The power supply remained cut off for approximately 35 days, compounding the suffering of the people. According to an estimate, the total economic loss across all the sectors is at Rs. 250 crore, with agriculture and land fisheries being the hardest hit sectors. The fear now is that the rivers that surround Bhutni, which includes Ganga and Fulahar, may merge and completely wash away the area.

Madam, Chairperson, my request to the Government is that a large-scale plan is required for Bhutni Island, and for Malda to stop erosion. I strongly demand that the Central Government, in cooperation with the Government of West Bengal, develop a large-scale vision to protect the

* Please see p. 302 for list of Members who have associated

destitute and the suffering erosion prone areas of Malda and to prevent further erosion. Thank you.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद देवरिया व बलिया में मजदूर, किसान और चीनी मिल के मजदूर आंदोलन पर हैं। जनपद देवरिया से सिकंदरपुर तक एन.एच- 727 ए और 727 बी मार्ग पर भेगारी-नवलपुर-रामजानकी मार्ग बनना प्रस्तावित है।

महोदया, उसमें किसानों को यूनिट नहीं माना जा रहा है। काश्तकार को यूनिट मानकर मुआवजा दिया जा रहा है। परिणामत: किसानों के मुआवजे से 2/3 की कटौती हो रही है। पूरा किसान संगठन आंदोलन पर है। इसी तरह से कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कानपुर शुगर वर्क्स चीनी मिल, गौरी बाजार लगाई गई। मिल बिक गई, लेकिन अभी भी मजदूरों का 14 करोड़ 73 लाख रुपये से अधिक का बकाया है। काफी दिनों से मजदूर आंदोलन पर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । चीनी का कटोरा कहे जाने वाले जनपद देवरिया में लाला करमचंद थापर ने सीताराम शुगर मिल बैतालपुर में लगाई थी, जो बंद पड़ी है। किसान आंदोलन पर हैं। नई तकनीक से मिल चलाने का एग्रीमेंट हुआ था। सरकार की ओर से बार-बार कहा जाता है कि यह मिल चल जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

महोदय, जब हमारे संसदीय क्षेत्र के मजदूर और किसान आंदोलन पर रहेंगे तो हम लोग राजनीति कैसे करेंगे? जो घर गिर रहे हैं और जो पेड़ पड़े हुए हैं, उनका मुआवजा नहीं लगाया गया। अगर लगाया भी तो 101 एकड़ से अधिक प्लांट बांधकर लगा दिया और किसानों के मुआवजे से 2/3 की कटौती हो गई। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि सरकार इस विषय पर तुरंत संज्ञान ले। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के आंदोलन के जो मामले उठाए हैं, उन पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1210/SJN/NKL)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदया, मैं आपका भी अत्यंत आभारी हूं और संपूर्ण विपक्ष का भी अत्यंत आभारी हूं। संपूर्ण देश से हम जिन अपेक्षाओं से चुनकर आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को इस सदन के माध्यम से उठाएंगे और उनका समाधान होगा। आज हम लोगों का इसका अवसर मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो ग्रामीण बैंक्स हैं, सभी राज्यों में उन ग्रामीण बैंकों की लगभग 22,000 शाखाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे पेंशन का विषय हो, किसानों का जन-धन खाता हो, किसान सम्मान निधि हो या छात्राओं की छात्रवृत्ति का पैसा हो, अगर कोई सारे गांवों के लोगों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों की सेवा कर रहा है, तो ग्रामीण बैंक्स कर रही हैं। जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनकी तरह उनकी क्रेडिबिलिटी है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे बेहतर सेवाएं कोई और नहीं दे रहा है, लेकिन आज भी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग बैंक्स है।

ग्रामीण बैंकों की अपनी कोई एपेक्स बॉडी नहीं है। आज लगातार एक मांग हो रही है। ये देश की 40 करोड़ जनता की सेवा कर रही हैं। उनकी नेट वैल्यू 50,000 करोड़ रुपये की है तथा आरक्षित लाभ 40,000 करोड़ रुपये का है। इनमें भारत सरकार का स्वामित्व 50 प्रतिशत है तथा राज्य सरकारों का स्वामित्व 15 प्रतिशत है। जो स्पॉन्शर्ड बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया है, उनका स्वामित्व 35 प्रतिशत है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि देश में इसका एक रेगुलेशन हो। केन्द्रीय स्तर पर एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो, जिससे राज्यों में जो अलग-अलग अथॉरिटीज़ हैं, उनका संचालन ठीक ढंग से कर सकें। जब आज इतनी बड़ी संख्या में ये काम कर रही हैं और लाभ दे रही हैं, एनपीए में भी सबसे कम है, इस सरकार की किसानों, नौजवानों तथा महिलाओं के प्रति जो प्राथमिकता है, ये सबसे ज्यादा काम उनके लिए कर रही हैं। इसमें जो खाली पद हैं, उनकी भर्ती भी होनी चाहिए। करीब 20,000 अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (आईएनआरबी) की मांग वर्षों से की जा रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह स्थापित हो। निश्चित तौर से देश के सभी राज्यों में ग्रामीण बैंकों द्वारा जो सेवाओं दी जा रही हैं, उसकी गुणवत्ता में काफी सुधार होगा।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देश की 60 प्रतिशत ओबीसी आबादी है, उसके आरक्षण तथा क्रीमीलेयर की परिभाषा के संबंध में डीओपीटी ने वर्ष 1993 में यह आदेश दिया था – 'राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि क्रीमीलेयर की परिभाषा में कृषि आय और वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा'। उस परिभाषा में यह था कि क्लॉस वन और क्लॉस टू के जो अधिकारी होंगे, वे क्रीमीलेयर में शामिल किए जाएंगे तथा क्लॉस थ्री और क्लॉस फोर के अधिकारी क्रीमीलेयर में शामिल नहीं किए जाएंगे।

वर्ष 2014 के मॉडल के बाद उनके वेतन और कृषि आय को भी क्रीमीलेयर में शामिल किया जा रहा है, जिसके कारण 125 से भी अधिक यूपीएससी के उत्तीर्ण एवं प्रतिभाशाली युवा उम्मीदवारों को इसका शिकार बनाया गया है। उनका कैरियर बर्बाद कर दिया गया है। उन्हें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं में शामिल करने से रोका गया है। जिलाधिकारियों द्वारा जारी मान्य ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र को भी माना नहीं गया है तथा उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

उनके राज्य के द्वारा समानता प्रमाण पत्र देने के बाद भी कि ये ग्रुप 'सी' और 'डी' के कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी उसको खारिज कर दिया गया है। इससे ओबीसी वर्ग के छात्रों को क्रीमीलेयर में बताकर उनके पद रिक्त कर दिए जा रहे हैं। जो अच्छे-अच्छे तमाम संस्थान हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं में उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विभिन्न

संस्थानों में भी ओबीसी आरक्षित पदों में 'नॉट फाउंड सूटेबल' करके उनकी भर्ती नहीं की जा रही है, जिसके कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है।

(1215/SPS/VR)

हमारी यह मांग है कि राज्य सरकार द्वारा यह प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है, जो कर्मचारी ग्रुप सी और ग्रुप डी में कार्यरत है, उन पर माना जाए। इसमें कृषि आय और वेतन की आय का क्लास के आधार पर वर्गीकरण हो। इसमें क्लास वन और क्लास टू को न लिया जाए, लेकिन अगर प्रमोशन के आधार पर वेतन बढ़ता है तो कृषि आय और वेतन की आय को उसके क्रीमीलेयर में शामिल न किया जाए, जिससे इनका हित संभव हो सके।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति जी, मैं इस विषय पर एसोसिएट करता हूँ।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति जी, मैं भी इस विषय पर एसोसिएट करता हूँ।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं अपने संसदीय क्षेत्र पलामू के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। झारखण्ड राज्य के लातेहार जिले में उत्तरी कोयल परियोजना स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत पलामू प्रमण्डल के तीनों जिले डाल्टनगंज, गढ़वा और लातेहार के साथ-साथ बिहार राज्य के गया तथा औरंगाबाद जिले भी सम्मिलित हैं। इस योजना में इन जिलों की कुल 1 लाख 11 हजार 524 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही साथ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना और उद्योग-धन्धों को भी आवश्यक पानी मुहैया कराना इस योजना के अंतर्गत शामिल है। जब देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभाली, उसके बाद उन्होंने इस परियोजना के महत्व को देखते हुए 1627.27 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। उन्होंने पलामू जाकर इस परियोजना की आधारशिला भी रखी, लेकिन डूब क्षेत्र के लोगों को मुआवजे की राशि न मिलने से इस परियोजना का कार्य अधूरा रहा। भारत सरकार ने हाल ही में 4 अक्टूबर, 2023 को मुआवजे की राशि भी स्वीकृत कर दी है और यह राशि राज्य सरकार को भी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना को पूरा करने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और इस कार्य को पूरा कराना चाहिए।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Thank you, Madam. I would like to draw the attention of the House to the Union Government's decision to grant a licence for tungsten mining by Hindustan Zink Ltd. in Madurai district of Tamil Nadu. The issue has several significant

environmental, cultural, social and federal implications necessitating immediate intervention to protect the region and its people.

The Tamil Nadu Government yesterday has consistently opposed the project citing the Union Government's failure to consult the State authorities before granting the mining licence. The Resolution passed in the Tamil Nadu Legislative Assembly on December 9 calls for the revocation of the licence and emphasizes the need for State's consent in the resource management. The Chief Minister of Tamil Nadu has also written to the Union Government requesting that this has to be stopped as soon as possible because there are protests in the area. It is a very important biodiversity protected place and it also means a lot to us culturally because Jain monuments are there and one of the first Tamil inscriptions are also found in that area. So, everything would get affected, if it is not stopped. Many countries have also stopped this because the leakages from these mining sites have affected the agricultural production as well as the farmers.

Sir, it is very critical. So, we should stop this. The DMK has consistently opposed this mining.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, we are one on this issue which has just been raised by Kanimozhi. *....(Interruptions)* The Government should respond to this very important matter. *....(Interruptions)*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, we are all supporting Kanimozhi on this issue. *....(Interruptions)*

(1220/SAN/MM)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, day before yesterday, the Tamil Nadu Assembly had passed a Resolution unanimously, where all the parties joined together, urging the Union Government to cancel the tungsten mining proposal as it would lead to degradation of environment and a lot of other environmental hazards.

A concern was also expressed about allocating the tungsten mining rights to a private party. This is very bad. It will lead to environmental hazards. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Hon. Member Manickam Tagore ji.

… (*Interruptions*)

*SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Hon Madam Chairperson, Vanakkam. Two hon. MPs from Tamil Nadu have raised an important issue relating to the need to ban Tungsten mining activities in Arittappati of Madurai. The Union Government is planning to give away the mineral wealth of Tungsten available in plenty between Alagar Kovil and Arittapatti of Madurai in Tamil Nadu to Vedanta Zinc Limited. This decision of the Union Government is a shock for us. As far as BJP is concerned, I do not know why it is so much interested to destroy the importance of sacred places of Tamil Nadu such as Alagar Kovil and the six prominent places of Lord Muruga called the *Arupadaiveedu.* If a question is put before the BJP whether they will support God or Vedanta, they will categorically take the side of Vedanta. Tamil Nadu Legislative Assembly has unanimously passed a Resolution insisting to stop and ban the illegal Tungsten mining activities at Arittapatti in Madurai. I too urge upon the Union Government with the demand to stop the Tungsten mining activities at Arittapatti in Madurai. Thank you.

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): *Namaste* Madam. I thank you for providing me an opportunity to raise an issue of serious concern in the Lok Sabha today. I want to talk in Kannada, my mother tongue.

*This is a problem prevailing since many years. It has been seventy seven years since Independence and it has been 75 years since we adopted the constitution. Today the issue that I am raising in the House is related to the people who have lost their cultivable lands for Sharavati Hydro Electric project. This project displaced farmers is prevailing for seventy five years. The Sharavati Hydro Electric project was built between the period of 1958 and 1964. Thousands of hectares of agricultural land submerged into the water and four to five thousand farmers' families were displaced. However, this project affected people have sacrificed to provide electricity to the whole country. The previous state governments of Karnataka did not pay compensation for the displaced farmers prior to Land Reform Act came into force. The State Government has sent a proposal to allot 9136 acres of forest land to the farmers as compensation during the period of 1958-1959. But, even though State Government tried to compensate the farmers fifty years ago, till now there is no land rights have been granted for our farmers. Their names are not entered in the revenue records as the Forest land is not de-notified. Hence, the displaced farmers are deprived of the facilities provided by both the State and the Central government. They cannot build their house, they will not get any bank guarantee and they are in great distress. On the basis of the suggestion of the Central government, in order to provide rehabilitation of the farmers, the State Government has sent proposal requesting for permission to de-notify the forest land.The Central Government had asked to file IA before Supreme Court. Accordingly, now the IA is filed. A good news is, on 10.12.2024 both the Central and the State Governments are requested to settle the matter amicably and go before the Supreme Court on January 20,2025. Hence,I request our Hon'ble Forest minister, who has put a lot of effort to save forests and ecology, to look into this matter. And under the leadership of Shri Narendra Modiji, efforts have been made to resolve many problems. A lot of agitations were undertaken under the leadership of Champion of farmers Shri Yadiyurappa ji. I with folded hands request the Central government to intervene in this matter and provide compensation to the affected people without further delay.

Thank you.

---

* Original in Tamil

*Original in Kannada

(1225/SNT/YSH)

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairperson Madam, for giving me the opportunity to speak on a very important issue.

Madam, I would like to raise the issue of Polavaram Dam. This Polavaram project is a national project under the Andhra Pradesh Reorganization Act which was commissioned in 2014. But the problem is that if that particular project is commissioned, 162 villages in Malkangiri district will be submerged. 162 गांव डूब जाएंगे। हजारों एकड़ जमीन चली जाएगी। हम इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। ओडिशा के लोग यही बोल रहे हैं कि वहां न तो सर्वे हुआ है, न रिहैबिलिटेशन की बात हुई है और न ही रिसेटलमेंट की बात हुई है। यह सुना जा रहा है कि फिर से वह प्रोजेक्ट अडाणी को दिया जा रहा है। इसलिए यह सरकार फिर से यह प्रोजेक्ट… (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Respected hon. Chairperson, I rise to raise about the grave and humanitarian situation in Manipur.

The entire State is in a humanitarian crisis, and instead of finding a solution, the Government is sending paramilitary forces and enforcing the Armed Forces (Special Powers) Act. This is not addressing the cycle of violence. Extortion has become rampant; economy is shattered; and the basic public services are on the brink of collapse. Unfortunately, there has been a rise in the illegal trade of arms, drugs, and timber. Due to this impact, the lives of ordinary people have been devastated. The schools and colleges have been closed; the education of thousands of students is at risk; healthcare facilities are damaged or destroyed; and fear and uncertainty has gripped the population.

Madam Chairperson, the time for inaction is over. The people of Manipur are suffering. They have only three questions in mind. The first question is this. When will the Prime Minister visit Manipur? The second question is this. When will the Minister of Home Affairs apprise the House that what action will be taken to resolve the situation? Thirdly, this Government, in order to hide its failure in Manipur, is using George Soros as a shield. They are hiding their failures. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, they have to respond and let the nation know what connection is there between George Soros and all these internal disturbances. The Congress

Party is responsible for the internal disturbances in the country and they are using the foreign forces. … (*Interruptions*)

1228 hours

(At this stage, Shri B. Manickam Tagore *and some other hon. Members came and stood near the Table)*

They have an extra set of tie-ups with foreign forces due to which the country is facing internal problems. The Congress Party is solely responsible for this situation. The Manipur situation is being tackled very adroitly at the highest level. … (*Interruptions*) I would like to ask this to the Congress Party. When did your Prime Minister ever visit any of the North-Eastern States which were having a problem? … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, प्लीज आप सब बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRI PIYUSH GOYAL: When did their Prime Minister ever take interest in the problems in Assam, from where he was an hon. Member? It is because the Congress Party is using George Soros and other international bodies that the country today is suffering. … (*Interruptions*) There are internal problems caused by the Congress Party's association with George Soros funded organisations. The Congress Party is solely responsible and it has to answer the nation. What is the connection with the leaders of the Congress Party? What is the nexus? It is due to which the Congress Party and George Soros funded organisations like them are destabilising the Indian economy. … (*Interruptions*) The Congress is responsible for this severe state of affairs and they have to reply to the nation why George Soros has such a close connection with their leaders. We are now finding new and new revelations. We are finding that they have a nexus which goes back to 25 years. … (*Interruptions*)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Gaurav Gogoi	Shri B. Manickam Tagore
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	Shri Durai Vaiko

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्यगण, प्लीज आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1230 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक लिए स्थगित हुई।

(1400/RAJ/AK)

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 -- LAID

1400 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over the approved text of the matter at the Table immediately.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I have a suggestion to make. After such a long gap the House is functioning. Why do you not allow the Members to read the matters under Rule 377? It will take hardly half-an-hour.

HON. CHAIRPERSON: Your suggestion will be decided.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It is for your consideration.

HON. CHAIRPERSON: But today, there is a very important Bill on which the hon. Minister has to give his reply. माननीय मंत्री जी, आप रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलें।

Re: Expansion of railway services in Odisha

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार आने के बाद ओडिशा राज्य को रेलवे में जो बजट मिल रहा है एवं जिस प्रकार का विकास हो रहा है वह अतुलनीय है इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम पड़ेगी। फिर भी पिछड़ापन और गरीबी के कारण रेलवे की दृष्टि से ओडिशा का और विकास किये जाने की आवश्यकता है। अतः मेरा यह विनम्र निवेदन है कि ओडिशा जैसे राज्य के सभी इलाकों को पूर्व तट रेलवे के दायरे में लाया जाए। राज्य के बालेश्वर, बारिपदा, बड़बिल, राउरकेला, झारसुगुड़ा, ब्रजराजनगर और बेल पहाड़ जैसे एरिया को पूर्व तट रेलवे के अधीन लाया जाए। अंगुल जिले के बूढ़ापंक से ढेंकानाल जिले के पर्जंग कामाक्षा नगर, भुवन होकर याजपुर जिले के सुकिंदा रोड खण्ड में सवारी गाड़ी चलायी जाए, उसी रूट देकर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जा सकती है। 'तालचेर-विमलगढ़' निर्माणाधीन रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को और गति दी जाए एवं शीघ्रातिशीघ्र संपूर्ण किया जाए।

(इति)

Re: Alleged irregularities in construction work of NH 730C in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मैं सदन का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग 730 सी जो संसदीय क्षेत्र शाहजहापुर (उ०प्र०) से होकर गुजरता है, की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के गुजरने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अल्लाहगंज से मीरानपुर कटस सेक्शन में पेव्ड शेल्डर कॉन्फ़िगरेशन के साथ दो लेन का पुनर्वास और उन्नयन का कार्य चल रहा है।

उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर कटरा से रहेता, जो 23 कि०मी० है तथा मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर के अन्तर्गत आता है, के भ्रमण के दौरान मुझे विदित हुआ है कि उक्त 23 कि०मी० सड़क के निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री मानकों के अनुरूप उपयोग में नहीं लाई जा रही है और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता बहुत ही घटिया स्तर की है।

मुझे संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान बिल्डर कंपनी के विरुद्ध ग्रामीणों से निरंतर शिकायतें मिल रही है कि यह बिल्डर सरकारी धन का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

मैं यह तथ्य भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि उपर्युक्त कटरा रहेता राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में मिट्टी का घनत्व भी ठीक नहीं है तथा गिट्टी का साईज भी मानक के अनुरूप नहीं है और सड़क निर्माण के कार्य हेतु जिन किसानों की भूमि से मिट्टी ली गई है. उसको अधिक मात्रा में निकाला गया है और साथ ही किसानों की सहमति के बगैर ही रात्रि के समय में उनकी भूमि से अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया गया है, जिससे न केवल स्थानीय किसानों में नाराजगी है, बल्कि ग्रामों के सम्पर्क मार्ग भी खराब हो गए हैं और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ०प्र०) के अन्तर्गत कटरा से रहेता (राष्ट्रीय राजमार्ग 730-सी), जिसकी दूरा 23 कि०मी० है. के निर्माण कार्य में हो रहे कदित कदाचार और उपयोग में लायी जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तथा उपर्युक्त तथ्यों की जांच मंत्रालय स्तर पर केन्द्रीय तकनीकी समिति से करवाए जाने और जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों को मुझसे भी सम्पर्क किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए जाए।

(इति)

Re: Need to set up Kendriya Vidyalaya at Jarmundi (Dumka), Deoghar and Mahagama (Godda) in Santhal Pargana region of Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Jharkhand State is having two major regions, Santhal Pargana and Chhota Nagpur. Keeping the socio-economic problem being faced by Santhal Pargana in mind where agriculture is only the main source of income, we see an urgent need for a comprehensive plan of action where special emphasis on good and equal opportunity of employment friendly education is given utmost importance. Santhal Pargana districts of Deoghar, Godda, Jamtara, Pakur, Sahibganj and Dumka count amongst the socially, educationally and economically backward districts of the country. A look at the statistics of health, education, income, etc., gives an appalling picture of the poor state of the people. Jharkhand is a rich State. It possesses 40% of India’s mineral resources, but the access to resources has made little difference to the lives of the ordinary people. Poverty and ignorance are still causes for low literacy rates, poor school attendance and large-scale drop-outs. I, therefore, seek your personal attention towards the need to set up three Kendriya Vidyalayas. An ideal location would be JARMUNDI (DUMKA), DEOGHAR AND MAHAGAMA(GODDA) in the SANTHAL PARGANA region.

(ends)

Re: Need to expedite construction of broad gauge railway line from Chanasma to Radhanpur in Patan Parliamentary Constituency

श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी (पाटण) : मेरे संसदीय क्षेत्र पाटण में चाणस्मा और राधनपुर के बीच कंबोज, हारिज, सरवल, सामी, बस्पा और बाबरी स्टेशनों को जोडते हुए इस मार्ग पर नई ब्रोड- गेज लाइन के लिए संयुक्त क्षेत्र सर्वेक्षण किया जा रहा है। माननीय रेलमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करते हुए चाणस्मा से राधनपुर तक ब्रोड-गेज लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवायें और यह कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करवायें ताकि इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सकें।

(इति)

Re: Need to run a Vande Bharat train between Satna and Delhi and also make alternative arrangements in place of railway underpasses at level crossings affected by flooding

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन देश के पर्यटन स्थलों और धार्मिक क्षेत्रों को भी जोड़ते हुये राजधानी दिल्ली तक चलाना चाहिये, इसी कड़ी में मेरी मांग है, कि सतना, रीवा, चित्रकूट, बांदा और कानपुर होते हुये दिल्ली के लिये भी एक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाय, मेरी दूसरी मांग यह है, कि रेलवे लाइनों पर समपार फाटक बंद करने के लिये जो अंडरग्राउन्ड ब्रिज बनाये गये हैं, उन सभी पुलों में बरसात का पानी भरा रहता है, बरसात के समय में लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। उनकी डिजाईन के कारण कई जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं, तथा सुविधा न रहने के कारण अन्य कई तरह के अपराध भी हो रहे हैं, मुझे लगता है, यह टेक्नोलॉजी सफल और कारगर नही है, इसलिये कोई नई तकनीकी अपनाना चाहिये।

(इति)

Re: Need to expedite construction of Sone-Kanhar Pipeline Irrigation Project in Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में 1276 करोड़ रुपये की लागत से गढ़वा जिले (झारखण्ड) की भूमि को सिंचित करने के लिये सोन-कनहर पाइप लाइन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण इस परियोजना का निर्माण कार्य विलम्ब से वर्ष 2019 में स्छज् कंपनी के द्वारा शुरू किया गया एवं मार्च 2022 तक कार्य को पूर्ण करना था जो समय पर नहीं हो पाने के कारण उक्त कम्पनी को कार्य का विस्तार करते हुए 30 जून 2024 तक पूरा करने का समय दिया गया था। परंतु उक्त कम्पनी के द्वारा अभी तक कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य अपूर्ण है जिसके कारण सिंचाई परियोजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। विदित है कि उक्त सिंचाई परियोजना से गढ़वा जिले की 22 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी एवं गढ़वा जिले के 20 में से 18 प्रखंडों में स्थित खेतों तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जाएगा। उक्त परियोजना के निर्माण कार्य को अविलंब पूर्ण कराने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से माँग करता हूँ कि सोन-कनहर पाइप लाइन सिंचाई परियोजना को अविलंब पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to develop a new Greenfield Road Project between Akola, Maharashtra and Khandwa, Madhya Pradesh

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Regarding a new road project that can significantly improve connectivity and reduce travel time between Indore (Madhya Pradesh) and Hyderabad (Telangana). Currently, there is no 4 lane highway in akola khandwa route. Developing a greenfield project between Akola and Khandwa can reduce the distance by 40-50 km and travel time by 2 hours. This project would bring employment and various other benefits.

(ends)

Re: Need to improve mobile telecommunication service in Palghar district, Maharashtra

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : पालघर जिले में बीएसएनएल और मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली कुछ निजी कंपनियों का मोबाइल और वाईफाई नेटवर्क/सिग्नल काफी कम आता है। मोबाइल सिग्नल किसी जगह पर आता है और कहीं बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता है। मोबाइल पर बात करते हुए कई बार सिग्नल ड्रॉप होने के कारण मोबाइल से संपर्क करने में बहुत ही कठिनाई होती है। अनेक तालुका ऐसे है जहां बीएसएनएल और निजी मोबाइल सेवा प्रदान करने वाले कम्पनियो का सिग्नल बिल्कुल नहीं के बराबर आता है। इस कारण से यहां रहने वाले स्थानीय लोगो को बहुत परेशानी होती है। पालघर जिले की कुल जनसंख्या लगभग 29,90,116 है और 15 लाख से ज्यादा मोबाइल का उपयोग करने वाले लोग हैं। । जिले के मोखाडा, तलासरी, वसई, विक्रमगढ़, पालघर, दहानू और वाडा में सिग्नल की समस्या काफी गंभीर है। मेरा माननीय संचार मंत्री महोदय से अनुरोध है कि पालघर जिले में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाएं जाएं और बीएसएनएल और निजी कंपनी दोनों को सिग्नल में सुधार करने का आदेश देने की कृपा करें। यहाँ के जिस गांव या तालुका में सिग्नल कम या ना के बराबर है वहां अतिरिक्त मोबाइल टावर लगाने का भी प्रबंध किया जाए।

(इति)

Re: Need to enhance the deposit insurance coverage for senior citizens

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Amendments to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) Act in 2021 provided an insurance cover for depositors up to Rs 5 lakh, a 5-time increase in the deposit insurance. It also helped citizens access their deposit insurance amount within 90 days of the bank coming under a moratorium imposed by RBI. However, the DICGC Act's structure includes clauses granting it the right to claim priority on the bank's assets, with depositors holding more than Rs 5 lakh receiving residual payments only after DICGC claims are fulfilled. Due to this, many financial experts advocate for reforms to allow greater depositor-first rights and to raise the insurance limit further to reflect inflation and other economic changes. Further, there is a need for targeted protections for senior citizens, who often rely on fixed deposits as a primary income source like in the case of the Shri Guru Raghavendra Cooperative Bank in my constituency. Therefore, I request the Government to consider to raise the deposit insurance coverage for senior citizens, reflecting their higher vulnerability; ensure stressed banks are allowed sufficient time to repay the DICGC; and help depositors with more than INR 5 lakh receive a higher proportion of the residual assets. (ends)

Re: Need to establish an AIIMS in Jamshedpur, Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : मेरा विषय झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर (झारखण्ड) अंतर्गत व्याप्त स्वास्थ्य समस्याओं से सम्बंधित है। मेरा संसदीय क्षेत्र झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमाओं के पास स्थित है, और यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में बहुसंख्यक आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। हमारे राज्य में Deoghar में AIIMS अस्पताल है, लेकिन यह जमशेदपुर से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, जिससे यहाँ के लोगों के लिए इलाज प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यात्रा की दिक्कत और चिकित्सा सहायता की कमी के कारण लोग इलाज के लिए दूर-दूर तक जाते हैं, जो उनके लिए आर्थिक और शारीरिक बोझ बन जाता है। अत : मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जमशेदपुर में घाटशिला और बहरागोड़ा के बीच एक AIIMS अस्पताल की स्थापना की जाए। इससे न केवल झारखंड, बल्कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। इस कदम से आदिवासी और पिछड़े समुदाय के लोगों को जीवनदायिनी चिकित्सा सुविधाएँ मिल सकेंगी, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी।

(इति)

Re: Need to set up a Tribal Auditorium and Museum at Rairangpur in Mayurbhanj Parliamentary Constituency

SHRI NABA CHARAN MAJHI (MAYURBHANJ): I rise to draw attention to the vibrant cultural heritage of Mayurbhanj District, Odisha known for its deep-rooted traditions and rich tribal art forms. The district is notable for the globally acclaimed Chhau Dance, captivating Jhumar Folk Songs, and significant festivals like Makar Parva and Karama Parva, which reflect the profound cultural ethos of the region. To preserve and promote this invaluable cultural heritage, I propose the establishment of a Tribal Auditorium and Museum in Rairangpur, Mayurbhanj. This facility would not only serve as a hub for showcasing traditional art forms but also as an educational center for cultural exchange and learning. The proposed auditorium would provide a platform for artists to perform and exhibit their skills, enhancing the cultural landscape and encouraging tourism. The museum would act as a repository of tribal history and artifacts, preserving it for future generations while fostering research and academic interests in tribal culture. I urge the Government to consider this proposal seriously, honoring the distinctive tribal heritage of Mayurbhanj and promoting cultural diversity.

(ends)

Re: Establishment of an airport in Raigarh Parliamentary Constituency

श्री राधेश्याम राठिया (रायगढ़) : मैं माननीय नागरिक विमानन मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र (छत्तीसगढ़) में एयरपोर्ट बनना था, जो एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह परियोजना 2011 में प्रस्तावित की गई थी, जिसमें 200 एकड़ भूमि का भू अर्जन करना था, लेकिन किसी कारणवश वह पूरा नहीं हो पाया। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय नागरिक विमानन मंत्री जी के द्वारा किसी विशेष एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए और इस परियोजना को पुनः शुरू किया जाए। रायगढ़ एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां कई उद्योगों का केन्द्र है, लेकिन हवाई संसाधनों की कमी के कारण कई उद्योग यहां स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। इस एयरपोर्ट के आने से नौकरी को बढ़ावा मिलेगा और रायगढ़ के विकास को नई गति मिलेगी। मैं माननीय नागरिक विमानन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(इति)

Re: Need to set up CGHS Wellness Centre in Palakkad, Kerala

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): It has been a long pending demand of beneficiaries to have a CGHS Wellness Centre at Palakkad. There are hundreds of CGHS beneficiaries in the district who are mostly senior citizens. In the absence of a CGHS Wellness Centre at Palakkad they are facing a lot of problems to get medical treatment. The nearest CGHS Centres are located at Kochi and Kozhikode, both are at a considerable distance from Palakkad, making it very difficult to access basic health services. Monthly visits are not only physically taxing but also contributes to health deterioration and travel time takes 12 to 14 hours to and fro per visit. This time period of travel for a single visit causes considerable inconvenience for beneficiaries. Several elderly and physically challenged individuals even neglect treatment just because of distance and cost of travel. The CGHS Wellness Centres at Kochi and Kozhikode are all overburdened which leads to extreme deterioration in quality of service. Given the long distance and frequent trips, this creates further difficulties for those who already face mobility issues due to old age and also financial burden. Therefore, it is requested to open a Wellness Centre of CGHS in Palakkad urgently.

(ends)

Re: Need to regularize the Network Field Engineers working on *ad hoc* basis in NIC

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): Regarding regularization of services of Network Field Engineers working as adhoc employees, in NIC. (ends)

Re: Construction of village roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna in Banaskantha Parliamentary Constituency

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : आज हम देश की आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वहीं आज भी मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा मे काफी गांवों मे सड़कों की समस्या बनी हुई हैं। यहाँ पर एक गाँव से दूसरे गांवों मे जाने के लिए सड़कों के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है तथा अभी भी यहाँ पर कच्ची सड़के हैं। बच्चों को स्कूल जाने तथा ग्रामीणों को एक गाँव से दूसरे गाँव मे जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तथा खास तौर पर बारिश के समय में तो यहाँ की सड़कें कीचड़ मे तब्दील हो जाती हैं और लोगों को गाँव से निकालना काफी कठिन हो जाता है तथा वहीं गांवों मे किसी कि तबीयत बिगड़ती है तो उसे अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे मे कुछ मरीजों की इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है। इसलिए, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि यहाँ पर ग्रामीण सड़कों का सर्वे कराकर, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन खराब सड़कों का निर्माण कराया जाय जिससे ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा हो सके। (इति)

Re: Need to provide compensation for acquisition of land for Angamali-Erumeli Sabari Railway Line Project in Kerala

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): The Angamali-Erumeli Sabari railway line, first sanctioned in 1997-98, was envisioned to connect the pilgrim center of Sabarimala with the rest of the country and promote regional development. Despite its significance, the project has faced prolonged delays. I am grateful to the Hon'ble Minister of Railways recent announcement to revive the project through a tripartite agreement involving the Government of Kerala, the Reserve Bank, and Indian Railways. Land acquisition for the first 70 kilometers is at an advanced stage, with demarcation and Social Impact Assessment (SIA) completed in four taluks. However, landowners have endured hardships for 27 years, unable to sell or pledge properties, with many houses in the project area now uninhabitable. The revised project cost is estimated at ₹ 3500 crore. Southern railway approved this estimate and Kerala Government agreed in principle on the revised proposal for Land acquisition for this project. The flywood industries of Perumbavoor region & Agriculture produce of Idukki (Spices, Tea, rubber, cash crops) will find better markets with faster transportation. With Rs. 200 crore allocated in the last two Union Budgets, I request immediate steps to de-freeze the project and release funds for land compensation. This will facilitate construction resumption and bring immense socio-economic and cultural benefits to the region.

(ends)

Re: Need to review and refix the norms of creamy layer

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : 1993 में गठित क्रीमी लेयर संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, आय का मानदंड निर्धारित किया गया था, जिसमें कृषि और वेतन से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय विचारणीय है। इस रिपोर्ट को 1993 में संसद में पेश किया गया था और उस पर ही आधारित नीति बनाई गई थी। 1992 में इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर होना चाहिए, न कि सिर्फ आय पर। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि जब कोई व्यक्ति अपने वर्ग के सामाजिक और आर्थिक स्तर से ऊपर उठ जाता है, तो उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर के मानदंडों को पुनर्निर्धारित किया जाए ताकि वास्तविक सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और संसदीय समितियों की रिपोर्टों के अनुरूप नीतियों को लागू किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य संगठनों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाए। (इति)

Re: Need to review complaint Redressal Mechanism in Government Departments and to implement Court orders

श्री राजीव राय (घोसी) : यह दुःखद है कि सरकारी कर्मचारी अक्सर न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि सरकारी विभागों में मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र अत्यधिक असंतोषजनक और अपर्याप्त है। यह और भी विडंबनापूर्ण है कि जब कोई कर्मचारी कोर्ट जाता है और उसके पक्ष में आदेश प्राप्त करता है, तो वही आदेश उसी विभाग में अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया जाता। इसके परिणामस्वरूप, अन्य कर्मचारियों को भी न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। इससे न केवल कर्मचारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है, बल्कि ऐसे मामलों की संख्या भी बढ़ जाती है जो बचाए जा सकते थे।

इसका एक ताज़ा उदाहरण मुझे हाल ही में "सीमा सुरक्षा बल" (SSB) के एक मामले में देखने को मिला, जहाँ Writ Petition No. WP/Civil/3549/2018 में एक कर्मचारी के पक्ष में कोर्ट से आदेश प्राप्त हुआ था और उस आदेश को सरकार ने उसी कर्मचारी के मामले में लागू किया, लेकिन उसी संगठन में समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों के लिए इसे लागू नहीं किया गया। इसी तरह, पेंशन नियमों में कुछ संशोधनों को लागू करने के लिए कई बार कोर्ट में न्याय की आवश्यकता पड़ी, ताकि 2004 के बाद सरकारी पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जा सके। इसी प्रकार, कई सेवानिवृत्त पेंशनर्स को जून में सेवानिवृत्त होने पर अपनी पेंशन में काल्पनिक वृद्धि के लाभ के लिए कोर्ट में भागना पड़ा। अब फिर से मुझे बताया गया है कि कई पेंशनर्स को अपनी पेंशन के कम्युटेशन के कार्यकाल को कम करने के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता पड़ रही है।

यह अत्यंत दुखद है कि हमारे कर्मचारी अक्सर ऐसे मामलों में सरकार के खिलाफ कोर्ट में होते हैं, जिनका समाधान सौहार्दपूर्वक और वास्तविक शिकायतों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता था। इससे न केवल इन कर्मचारियों/पेंशनर्स पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है, बल्कि यह न्यायपालिका पर भी ऐसे मामलों का बोझ बढ़ा देता है, जिन्हें रोका जा सकता था।

मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वे अपने शिकायत निवारण तंत्र को पुनः समीक्षा करें और इसे अधिक प्रभावी बनाएं, ताकि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को अपनी सही और उचित मांगों को लेकर कोर्ट का रुख न करना पड़े। इसके अलावा, कोर्ट के निर्णय के मामले में सरकार को चाहिए कि वह उसे समान रूप से सभी समान स्थिति वाले कर्मचारियों या पेंशनर्स पर लागू करें, बजाय इसके कि उन्हें फिर से न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़े, जबकि पहले ही किसी विशेष मामले में कोर्ट ने आदेश पारित किया है।

(इति)

Re: Need to construct roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Dharmapuri district, Tamil Nadu

SHRI A. MANI (DHARMAPURI): I urge the Union Government that the following roads in Dharmapuri district, Tamil Nadu be included and constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana:-

(1) Thiimalanmedu to Koturmalai - Hill Road in Pennagaram Union

To provide an approach road (5.80 km length) from Thimalanmedu to Kooturmalai in Pennagaram Block, Stage-I permission was obtained by the district administration from the Forest Department and the compensation of around Rs 2.20 crore already remitted for the 5.82 Hectares land diverted in Kammapatty Panchayat, Nallampalli Block by the District Administration to Forest Department and proposal for Stage II clearance is to be submitted to Forest Department. Detailed Project Report prepared for the amount of Rs.15 crore has been submitted for sanction of grant and after getting the necessary assistance, the road will be constructed soon.

(2) Konayankadu to Malayur kadu in Maniyathalli Panchayat in Nallampalli Block

Compensation of the land to the extent of 5.00 Hectares in Kammapatty Panchayat, Nallampalli Block has been made and handed over for construction of the road from Konayankadu to Malayur Kadu in Maniyathalli Panchayat in Nallampalli Block to the length of 3.10 km and Stage-I clearance was obtained. Request has been sent to the Government for fund allocation of Rs 1.19 crore towards forest creation in compensatory land diverted. Detailed Project Appraisal Report is being prepared for commencement of road works.

(3) Road Facilities: Construction of tar road up to 17.10 kilometers from Palamalai Kannamoochi Panchayat to Kemmampatti

There are about 8257 hill people living in Palamalai Panchayat which is part of Kolathur Panchayat Union, Mettur Taluk in my Dharmapuri Parliamentary Constituency. Furthermore, there is no adequate dirt road or tar road constructed in the Panchayat. I humbly request you to consider for the construction of a 17.10 kilometer tar road from Kannamoochi section on the highway from Kolathur to Guruvareddiyur to Kemmampatti village of Palamalai Panchayat at a cost of Rs. 60.12 crore to reach the 11 villages under the Palamalai Panchayat.

(ends)

Re: Need to take comprehensive measures to control spam calls from tele-marketing and other agencies

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): Tele-marketing agencies and spam calls are daily nuisance to the millions of citizens in the country. Tele marketers are using loopholes to reach "customers" and waste time and irritate. The Government should take necessary action to put an end to this menace. The Government need to enact legislation by which the phone numbers and emails of consumers can not be disclosed to Tele-marketing agencies and the consumers cannot be contacted without consent. Hence, I request the Government to create an unified portal where citizens can manage whether to give the consent or not.

(ends)

Re: Need to address the problems being faced by cocoa growers in the country

SHRI PUTTA MAHESH KUMAR (ELURU): I like to bring to the House's attention the serious issues faced by the Cocoa farmers of Eluru Parliamentary Constituency due to lack of support mechanisms to stabilize Cocoa prices from the fluctuations of international markets. Eluru is one of the biggest contributors of Cocoa with 36000 acres of Cocoa cultivation in Andhra Pradesh producing 40% of the total crop in India. However, as of now, there are no proper mechanisms and policies in place to help the Cocoa farmers from the unstable price of Cocoa internationally. To add to it, farmers also face a challenge in accruing post-harvest processing cost. I urge the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to kindly look into the matter and provide a 90% subsidy in essential resources such as fermentation boxes, solar dryers and quality seeds. Additionally, the Government can formulate policies and support mechanisms aimed at stabilizing Cocoa prices and protecting farmers from international market fluctuations. Only when the farmers will be safeguarded, India will become a global leader in Cocoa production.

(ends)

Re: Scarcity of drinking water in Nalanda district, Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बिहार के नालंदा जिला में इस वर्ष पीने के पानी का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। भूजलस्तर नीचे जाने के कारण पानी का संकट चरम पर पहुंच चुका है। बिहार राज्य के दक्षिणी भूभाग के सभी जिलों, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र, नालंदा में पीने के पानी की समस्या गहराती जा रही है। राज्य के दक्षिणी भूभाग की सभी नदियाँ इस समय सूख जाती हैं। राज्य के अन्य जलश्रोतों, जलाशयों और नहरों से पानी गायब हो रहा है। परिणामस्वरूप भूजलस्तर नीचे चला गया है। हैण्डपम्पों से भी पानी नहीं निकलता है। अतः मेरा आग्रह होगा कि नालंदा जिला में एक केन्द्रीय टीम को भेजा जाये जो कि पीने के पानी की समस्या का आंकलन करे और उसी आधार पर जिले के सभी पंचायतों में कम से कम 25-25 हथिया चालाकल (डीप बोरिंग) अविलम्ब दिया जाये।

(इति)

Re: Need to provide adequate funds for conservation and development of monuments of historical and cultural importance in Uttar Pradesh

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : हमारा राष्ट्र प्राचीन स्थलों, स्मारकों और परंपराओं का खजाना है। भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) ने कई महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान की है जिन पर तत्काल ध्यान देने और विकास की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश में सिनौली, बरनावा में लाक्षागृह और बागपत में पुरमहादेव मंदिर जैसे ये स्थल अपार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं।इसके साथ महाभारत का साक्षी रही बागपत की इस धरा पर ही द्वापर युग की यादों को समेटे महर्षि वाल्मीकि मंदिर बालैनी में ही स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में लव-कुश की जन्मस्थली है तो सीता मैया भी यहां समाई थी। भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की लगाम भी यहीं थामी गई थी। वे न केवल पर्यटन विकास की क्षमता प्रदान करते हैं बल्कि हमारे अतीत से महत्वपूर्ण संपर्क भी रखते हैं। मैं सरकार से इन स्थलों के विकास और संरक्षण के लिए पर्याप्त धन और संसाधन आवंटित करने का आग्रह करता हूं। संग्रहालय, आभासी वास्तविकता अनुभव, विरासत पार्क और जीर्णोद्धार सहित प्रस्तावित विकास न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेंगे बल्कि हमारे अपने लोगों के बीच हमारे इतिहास के लिए गहरी सराहना भी बढ़ाएंगे।

(इति)

Re: Reported non-implementation of reservation policy in recruitment of faculties in Central Educational Institutions in the country

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): In at least two IITs and three IIMs, over 90% of faculty belong to the General Category, with another six IITs and four IIMs reporting 80-90% representation. This data, based on RTI responses from September 2024, highlights significant deviations from the Centre's reservation policy mandating 27% for OBCs, 15% for SCs, and 7.5% for STs in faculty positions at Central educational institutions. IIM Indore has 97.2% General Category faculty, with no SC or ST representation. At IIM Lucknow and IIM Udaipur, over 90% of faculty are General Category. Six IIMs reported no ST faculty, and IIM Bangalore faced protests over inadequate reservation implementation. Among IITs, Mumbai and Kharagpur have 90% General Category faculty, while five other IITs reported 80-90%. Overall, General Category faculty constitute 82.8% in 13 IIMs and 80% in 21 IITs. Notable exceptions include IIT Patna, where OBC (38%), SC (22%), and ST (13%) faculty exceed General Category (12%), and IIM Jammu, with 51% General Category faculty and significant representation from other categories. Vacancy data from seven IIMs and 11 IITs shows 256 and 1,557 unfilled posts, respectively, with the highest vacancies for OBCs, SCs, and STs.

(ends)

Re: Welfare measures for farmers

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : कृषि मंत्री जी का ध्यान 21 नवम्बर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उच्च स्तरीय समिति की अंतरिम रिपोर्ट की तरफआकर्षित करना चाहूंगा जिसने किसानों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देते हुए किसानों की कर्ज माफी व एमएसपी को क़ानूनी मान्यता देने तथा रोजगार सृजन के उपाय करने की सिफारिश की है, ठहरे हुए उत्पादन और घटती आय ने किसानों के सिर पर कर्ज का बड़ा बोझ डाल दिया और समिति के अनुसार 30 वर्षो में 4 लाख से अधिक किसान व खेतिहर मजदुर आत्महत्या कर चुके है जो इस बात का प्रमाण है की देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार की जरुरत है।

महोदय, सिर्फ खेती-किसानी से होने वाली आय को गिना जाये तो एक किसान रोज केवल 27 रूपये ही अर्जित कर पा रहा है और इतनी कम आय में खेतों में काम करना व जीवन यापन करना मुश्किल ही नहीं नामुमिकन है,चूँकि किसानों ने भी इन मांगो को लेकर आंदोलन किया इसलिए राजस्थान सहित देश के किसानों की कर्ज माफी करने,एमएसपी को कानूनी मान्यता देने तथा कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करने हेतु तत्काल निर्णय लिया जाए ताकि देश के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

(इति)

रेल (संशोधन) विधेयक – जारी

1403 बजे

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) : माननीय सभापति जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लगभग 72 माननीय सांसदों ने इस विधेयक की चर्चा में पार्टिसिपेट किया है। इस पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। कई माननीय सांसदों के इंडिविजुअल, अपने-अपने क्षेत्र के मुद्दे थे। कई माननीय सांसदों ने जनरल पॉइंट्स रेज किए हैं। हर एक इंडिविजुअल मुद्दे पर क्या ऐक्शन लेना है, उसका पूरा कम्पाइलेशन हो गया है।

मान्यवर सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से बड़े मुद्दों को सबके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले प्रश्न उठाया गया कि बिल की क्या आवश्यकता है? क्या इस बिल से सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, पार्लियामेंट का रोल क्या रहेगा इत्यादि कई माननीय सांसदों ने ये विषय उठाए हैं।

सभापति जी मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट तौर पर इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि बेसिकली इस बिल को लीगल स्ट्रक्चर में सिम्पलिफिकेशन करने के लिए लाया गया है। जैसा कि मैंने इस बिल के इंट्रोडक्शन के समय कहा था कि रेलवे बोर्ड वर्ष 1905 के कानून से बना था। वर्ष 1905 के कानून और वर्ष 1989 के कानून, दो अलग-अलग कानून रखने की बजाय एक ही कानून हो, तो सिम्पलिफिकेशन रहेगा और एक ही कानून को रैफर करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यह बिल लाया गया है।

मान्यवर सभापति जी, इसमें कहीं सेंट्रलाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं है। पिछले 10 वर्षों में मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। अगर आप 10 वर्षों से पहले की परिस्थितियां देखें, तो किसी जनरल मैनेजर के पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर को एक्सपेप्ट करने के लिए बहुत ही नगण्य-सी पावर होती थी, नेगलिजिबल पावर होती थी।

मान्यवर सभापति जी, आज किसी भी प्रोजेक्ट के टेंडर को प्रॉसेस करने, उसको एप्रूव करने की 100 प्रतिशत पावर जनरल मैनेजर के पास है। डीआरएम्स, जीएम्स, बाकी सारे अधिकारियों के पास बहुत मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। मान्यवर सभापति जी, डिसेंट्रलाइजेशन का लाभ भी बहुत हुआ है। दस वर्षों में काम की गति डिसेंट्रलाइजेशन के कारण एकदम बढ़ी है और काम का स्कोप भी बहुत बढ़ा है। पार्लियामेंट का रोल यथावत रहेगा। पार्लियामेंट देश में सुप्रीम है। पार्लियामेंट इस देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस बिल से पार्लियामेंट के रोल में कहीं कोई चेंज नहीं आता है। इस विषय में जिन माननीय सांसदों का कोई भी कंसर्न हो, वे निश्चिंत रहें, इसके बारे में कहीं कोई चिंता, कहीं पर कोई कंसर्न रखने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर सभापति जी, दस वर्षों में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में फोकस्ड वे में काम हुआ है। मैं उस काम के बारे में कुछ विवरण यहां पर रखना चाहूंगा। कई मान्यवर सांसदों ने अपने विषय उठाते समय क्या काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ है, उसके बारे में चर्चा की है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की है। कई माननीय सांसदों ने प्रश्न उठाए हैं। आपके माध्यम से ये सारी चीजें इस सदन में रखना जरूरी हैं।

माननीय सभापति जी, दस वर्षों में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, उनमें से एक स्पष्ट दिखाई देने वाला सफाई में बदलाव है।

(1405/KN/UB)

दस साल पहले रेलवे के टॉयलेट्स कैसे होते थे, यह हम सब जानते हैं। आज किस तरह की परिस्थिति है, स्टेशंस की सफाई, ट्रैक्स की सफाई, ट्रेन्स की सफाई आदि सब के बारे में हम सब ने देखा है। कई मान्यवर सांसदों ने इस चीज का जिक्र भी किया, मैं उनको पर्सनली धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सफाई का जिक्र किया।

महोदय, इन 10 वर्षों में ट्रेन्स में करीब-करीब 3 लाख 10 हजार नए टॉयलेट्स गाड़ियों के अंदर बनाए गए। यह अपने आप में स्वच्छ भारत का, स्वच्छ रेल का एक बहुत बड़ा अभियान है, जो कि आज एक अलग लेवल तक पहुंचा है। नई तरह की गाड़ियां बनीं। वन्दे भारत – कई मान्यवर सांसदों ने रिक्वैस्ट की कि उनके एरिया में भी वन्दे भारत ट्रेन चले। एक नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी बनी और वह भी अपने देश के इंजीनियर्स ने, अपने देश के टेक्नीशियंस ने बनाई तो आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान बनी। आज विश्व भर में इस गाड़ी की चर्चा है। कई पैरामीटर्स पर दुनिया की जो बेहतरीन गाड़ियां होती हैं, चाहे यूरोप में हों, चाहे जापान में हों, उनके कम्पेरिजन में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कई पेरामीटर्स पर बैटर होती है। वन्दे भारत ट्रेन में, एयरोप्लेन में जो नॉइज का लेवल होता है, उससे 100 गुना, हंड्रेड टाइम्स कम नॉइज लेवल वन्दे भारत में है। जब इस गाड़ी को टेस्ट किया गया था, तो 180 किलोमीटर की स्पीड पर इस गाड़ी की टेस्टिंग हुई। ड्राइवर के केबिन में एक पानी का ग्लास रखा गया और वह पानी हिलता नहीं है, गिलास हिलता नहीं है। गाड़ी की डिजाइन में इतना ध्यान रखा गया है, क्योंकि देश में जो क्षमता है, हमारे देश के इंजीनियर्स की जो क्षमता है, उस क्षमता को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहचाना, उनको एक मौका दिया कि एक नए तरह के प्रयास से नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी बने।

अमृत भारत ट्रेन बनी। दो गाड़ियां पिछली जनवरी में आरम्भ हुईं उसका बहुत अच्छा रिस्पोंस है। उसकी 150 परसेंट से ज्यादा की ऑक्युपेंसी है। शॉर्ट डिस्टेंसेज़ के लिए, 200-250 किलोमीटर के लिए नमो भारत ट्रेन बनी और पहली गाड़ी ऑलरेडी भुज से अहमदाबाद के बीच में चल पड़ी है। उसका भी बहुत अच्छा रिस्पोंस है। ओवलऑल कई तरह की नई गाड़ियां, कई तरह की नई टेक्नोलॉजी देश में आई।

रिकॉर्ड इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ। भारत में अपना खुद का पेट्रोलियम रिजर्व बहुत लिमिटेड है तो जरूरी है कि हम इलैक्ट्रिफिकेशन मैक्सिमम करें। जो 60 वर्षों में 21 हजार किलोमीटर का इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ था, इन 10 वर्षों में 44 हजार किलोमीटर का इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है। डीजल के खर्चे में करीब 5 हजार करोड़ रुपये की बचत ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें और भी लगातार डेवलपमेंट हो रहा है।

नॉर्थ ईस्ट के बारे में केवल लुक ईस्ट चलता था और आज एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है। मैं चर्चा में नॉर्थ ईस्ट की डिटेल्स रखूंगा कि किस तरह से हरेक राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर की वर्षों से डिमांड थी, वह कनेक्टिविटी संपूर्ण होने को आई है,

प्रोजेक्ट संपन्न होने को आया है। कवच जैसी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। आज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 300 किलोमीटर से ज्यादा का बन चुका है। वर्ष 2014 तक फ्रेट कॉरीडोर, जो कि एक किलोमीटर भी नहीं बना था, वर्ष 2014 तक जीरो था, आज 2700 किलोमीटर से ज्यादा बनकर उस पर 350 गाड़ियां डेली चल रही हैं।

सेफ्टी के लिए स्टेशंस का डिजिटल कंट्रोल – पूरे यूपीए के दस साल में मात्र 800 स्टेशंस डिजिटल कंट्रोल पर आए थे। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 3 हजार से ज्यादा स्टेशंस डिजिटल कंट्रोल में आए हैं। यह देश 140 करोड़ का है। एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमें यहां पर रेलवे की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की जरूरत है। 50-60 वर्षों तक जिस तरह से रेलवे में इनवैस्टमेंट की कमी रही, जिसके कारण अगर हम रेलवे को देखें, हाइवे में इनवैस्टमेंट खूब हुआ है, रेलवे में इनवैस्टमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे एक अच्छा सेफ और एनवायर्नमेंट-फ्रेंडली मीडियम है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद जहां 25-30 हजार करोड़ रुपये के आस-पास का बजट होता था, उसको बढ़ाकर 2 लाख 52 हजार करोड़ रुपये का बजट किया है। हर राज्य को रिकार्ड एलोकेशन मिला है और काम में भी बहुत अच्छी तेजी आई है। अगर हम नए ट्रैक की बात करें तो जहां मात्र यूपीए की सरकार के समय 14-15 हजार किलोमीटर के आस-पास बने थे, इन 10 वर्षों में 31 हजार किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स बने हैं।

(1410/VB/SRG)

पिछले एक वर्ष में ही 5,300 किलोमीटर नये रेलवे ट्रैक्स बनें, जो पूरे स्विट्ज़रलैंड के रेलवे नेटवर्क से ज्यादा हैं। यानी एक समृद्ध देश का जितना रेलवे नेटवर्क है, उतना भारत के रेलवे नेटवर्क में लगातार दो साल में ऐड हुआ है। यह इस देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी के विज़न का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे उन्होंने देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए नींव रखी है।

सेफ्टी पर बहुत ध्यान दिया गया है। जहाँ 8-10 हजार करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट होता था, वहाँ अब 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट होता है। इसके रिजल्ट्स भी आए हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा।

मेनटेनेंस के तौर-तरीके में बदलाव हो, रिक्रूटमेंट हो, इन 10 वर्षों में रेलवे के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का हमेशा यह कहना है कि दो टर्म्स में जो फाउंडेशन ले हुई है, वह केवल फाउंडेशन है और मोदी जी के इस तीसरे टर्म में तीन गुना मेहनत करके विकसित भारत के लिए एक बेस बनाना है, जिससे आगामी कई वर्षों तक देश को और देशवासियों को रेलवे का लाभ मिलता रहे।

मैं तीसरे विषय पर आता हूँ। कई मान्यवर सांसदों ने कहा कि इस बिल से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ऐसा एक नरेटिव बनाने की कोशिश की। मैं बहुत सिनसियरिटी के साथ कहना चाहूंगा कि यह एक फेक नरेटिव बनाने की कई मान्यवर सांसदों ने कोशिश की, कृपया इसका प्रयास न

करें। संविधान के बारे में आपका एक फेक नरेटिव फेल हो चुका है। इसलिए और फेक नरेटिव न बनाएं।... (व्यवधान)

मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि जो 31 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स बने हैं, वे किसके हैं? वे सरकार के हैं। जो 44 हजार किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है, वह किसका है? यह सरकार का है। अभी 1,300 रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, ये किसके हैं? ये सरकार के हैं। लगभग 37 हजार एलएचबी कोचेज बने हैं, ये किसके हैं? ये देश के हैं, ये 140 करोड़ देशवासियों के हैं। इसमें कहीं प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपके माध्यम से, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया इस फेक नरेटिव को आगे न बढ़ाएं। आज देश में डिफेंस और रेलवेज़, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं, जिनको डी-पॉलिटिसाइज़ करके इनमें आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये देश की एक बहुत बड़ी ताकत हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों की जरूरत हैं। इसलिए इन पर आगे बढ़ना चाहिए।

मैं अब चौथे पॉइंट पर आऊँगा। कई मान्यवर सांसदों ने यह विषय उठाया कि मिडिल क्लास और गरीबों के लिए क्या है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि रेलवे का पूरा फोकस गरीब और मिडिल क्लास के लोगों पर है। आप देखेंगे कि जनरल और एसी कोचेज का जो रेशियो था यानी एसी और नॉन एसी कोचेज का जो रेशियो था, नॉन-एसी कोचेज लगभग टू-थर्ड रहते हैं और एसी कोचेज वन-थर्ड रहते हैं। पूरे के पूरे रेशियो को लगातार मेनटेन किया गया, लेकिन जब देखा गया कि कई मान्यवर सांसदों ने जनरल कोचेज की डिमांड की, तो उसके बाद जनरल कोचेज के मैन्यूफैक्चरिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें लगभग 12 हजार जनरल कोचेज स्पेशियली बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 900 जनरल कोचेज एक्स्ट्रा एड किये जा चुके हैं और 10 हजार कोचेज के मैन्यूफैक्चरिंग का काम टारगेट पर चल रहा है। हर ट्रेन में जनरल कोचेज ज्यादा हों, इस पर फोकस्ड वे में काम हो रहे हैं ताकि अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में जो पैसेंजर्स जाना चाहते हैं, उनको भी पूरी सुविधा मिले।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक नयी ट्रेन चलायी गई, जो अमृत भारत ट्रेन के नाम से है। अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन है। इसमें 22 कोचेज में से 20 कोचेज पैसेंजर्स के लिए हैं, दो कोचेज पार्सल्स के लिए हैं। 20 कोचेज में से 10 स्लीपर कोचेज हैं और 10 जनरल कोचेज हैं।

(1415/PC/RCP)

इसमें वही टैक्नोलॉजी लगाई गई है, जो कि वंदे भारत में है, जैसे ऑटो-कपलर्स, बैटर क्वालिटी की सीट्स, चार्जिंग-पॉइंट्स, नए डिज़ाइन के टॉयलेट्स, लेटेस्ट डिज़ाइन के वेस्टिब्यूल्स जिनसे नॉइज़ और झटकों से पूरी तरह से मुक्ति मिल सके। वे दोनों ट्रेन्स अच्छी चली हैं। जनवरी से लेकर अब तक करीब दस महीने वे ट्रेन्स चल चुकी हैं। अब 50 और नई ट्रेन्स बनाई जाएंगी, जो कि अनुभव के आधार पर बनेंगी। उनमें जो अनुभव आए, उस अनुभव के आधार पर 50 और गाड़ियों का प्रोडक्शन प्लान ऑलरेडी हाथ में ले लिया गया है। आगामी जनवरी के महीने से या ज्यादा से ज्यादा फरवरी के महीने से हर महीने दो-तीन नई अमृत भारत ट्रेन्स आने लगेंगी।

सभापति जी, इससे देश में हजार किलोमीटर की जर्नी मात्र 400 रुपए में हो सकेगी। देश में इतना अफोर्डेबल ट्रैवल हो सकेगा। … (व्यवधान) मेरे ख्याल से दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं होगा, जो 400 रुपए के आसपास के फेयर में हजार किलोमीटर की यात्रा करवाए और इतनी अच्छी सुविधाएं दे। … (व्यवधान) साथ ही साथ मिडिल-क्लास के लिए नमो भारत ट्रेन को डेवलप किया गया है। यह डेवलपमेंट बहुत ही सोच-समझकर किया गया है। जो कम डिस्टेंस के शहर हैं, मान लीजिए लखनऊ से कानपुर हुआ, बेंगलुरू से मैसूर हुआ, इस तरह के शॉर्ट डिस्टेंस के जो दो सिटीज़ के पेयर्स हैं, उनके बीच में हाई फ्रिक्वेंसी से ट्रेन चल पाए, जैसे यूरोप में रीजनल ट्रेन्स होती हैं, उस तरह की शटल की तरह लगातार ज्यादा फ्रिक्वेंसी से चल पाए। उसकी भी दो ट्रेन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, पहली ट्रेन को भुज से अहमदाबाद के बीच में डिप्लॉय किया गया। हम करीब दस-बारह महीने तक उसका अनुभव देखेंगे। उस अनुभव के आधार पर बड़ी मात्रा में नमो भारत ट्रेन्स भी बनाई जाएंगी।

जो मेमू ट्रेन है, जो बहुत ही पॉपुलर है, उसकी मान्यवर सांसदों से बहुत डिमांड आती है। उसके भी इस साल में 600 कोचेज़ बने हैं, यानी दस कोच की अगर एक ट्रेन हो, तो करीब-करीब 60 नई ट्रेन्स बनी हैं। … (व्यवधान) उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है और उसका देश भर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। यह सारा का सारा फोकस मिडिल-क्लास और लो-इनकम फैमलीज़ के लिए है। रेलवे का प्रीमियर कस्टमर मिडिल-क्लास और लो-इनकम फैमलीज़ से है और सारा फोकस भी उन ही पर है कि हम उनके लिए बेहतर सुविधाएं लाएं। इस पर ध्यान दिया गया है।

अभी छठ और दीवाली का जो फेस्टिवल सीज़न था, उसमें भी विशेष ध्यान देकर 7,900 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई और 1 करोड़ 80 लाख पैसेंजर्स ने ट्रेन्स से ट्रैवल किया। … (व्यवधान) एक-दो बार तो ऐसा भी हुआ, इन सबका आशीर्वाद मिला, उधना में एक साथ 40,000 लोग अचानक आए, फिर भी आठ-दस घंटे के अंदर-अंदर उन सबके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था करके उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। … (व्यवधान) पटना में छठ के तुरंत बाद करीब 80,000 पैसेंजर्स तुरंत आए। उनके लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी महाकुंभ आ रहा है, महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। … (व्यवधान)

सभापति जी, पूरे देश में गरीबों के लिए, मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड-वे में रेलवे का माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। … (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : मंत्री जी, हमारे यहां गंगा सागर मेले के लिए आपने क्या किया है? … (व्यवधान)

श्री अश्विनी वैष्णव : सभापति जी, बहुत सारे माननीय सांसदों ने सेफ्टी के बारे में बोला है। … (व्यवधान) दादा, आप बैठ जाइए। … (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। … (व्यवधान)

श्री अश्विनी वैष्णव : आपके बंगाल से भी महाकुंभ के लिए गाड़ियां हैं। … (व्यवधान)

सभापति जी, बहुत सारे माननीय सांसदों ने सेफ्टी के बारे में कन्सर्न्स रेज़ किए और इस विषय को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आप सारे विषयों को कृपया ध्यान से सुनें, समझें और अपने सुझाव दें। उसका देश के लिए उपयोग होगा।

सभापति जी, सेफ्टी पर ध्यान देने के लिए तीन बकेट्स हैं, जिन पर बहुत काम हुआ है और बहुत काम हो रहा है। ट्रैक्स से रिलेटेड मैटर्स पर बहुत बड़ा फोकस किया गया, क्योंकि पटरियों में कई तरह के विषय आते हैं। इसलिए, ट्रैक्स को कैसे सेफ बनाया जाए, उस पर ध्यान दिया गया। दूसरा, जो ट्रेन्स हैं, उन पर बहुत ध्यान दिया गया। तीसरा, लेवल क्रॉसिंग्स और चौथा, नई तरह की टैक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान दिया गया।

(1420/IND/PS)

सभापति जी, यदि इन चार बिंदुओं को देखें तो पता चलता है कि रेलवे में सेफ्टी पर काम हुआ है। इन दस वर्षों में 60 KG की रेल, हायर क्वालिटी से ज्यादा स्ट्रेंथ वाली 1,23,000 किलोमीटर की नई पटरी या पुरानी पटरियों को बदलने का काम हुआ। अगर इसे यूपीए के दस वर्षों के साथ कम्पेयर करें तो उस समय मात्र 57 हजार किलोमीटर था। यूपीए के 10 वर्षों में रेल रिन्यूअल यानी पुरानी पटरी को बदलना 32 हजार किलोमीटर था, यह कार्य मोदी जी के दस वर्षों में 43 हजार किलोमीटर हुआ। दो पटरियों को जोड़ने वाली फिश प्लेट कम से कम रहे, वेल्डिंग कम से कम हो और 260 मीटर की लम्बी रेल रहे, इससे सेफ्टी बढ़ती है। यदि यूपीए के दस वर्ष देखें तो मात्र 10 हजार किलोमीटर का कार्य हुआ, जबकि मोदी जी के दस वर्षों में 68 हजार किलोमीटर लॉंगर रेल का उपयोग हुआ, छह गुना ज्यादा काम हुआ। वेल्डिंग में जहां यूपीए के समय 79 लाख जाइंट, जिसे अल्ट्रासाउंड मशीन से टेस्टिंग करते हैं, मोदी जी के पीरियड में 1 करोड़ 73 लाख वेल्ड की ज्यादा टेस्टिंग हुई। इन सबका रिजल्ट भी आया क्योंकि वेल्डिंग के फेलियर जो दस साल पहले साल के 3700 होते थे, जिसके कारण डिरेलमेंट होता था, वह आज मात्र 480 हो गए हैं और इसमें 87 परसेंट कमी आई है। रेल का फ्रेक्चर बार-बार सुनाई देता था। वर्ष 2013-14 में जहां 2500 रेल फ्रेक्चर्स होते थे, वे 85 परसेंट कम हो कर मात्र 380 रह गए और प्रयास है कि इसमें और भी कमी लाई जाए।

सभापति जी, मेनटेनेंस की टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया। कई कठोर निर्णय भी लिए गए कि तीन घंटे का मेनटेनेंस का ब्लॉक पटरी को मिले। नई टेक्नोलॉजी भी लाई गई। अभी डेढ़ साल पहले बहुत ही एडवांस मशीन आईटीएमएस लाए हैं। इस मशीन से ट्रैक पर यदि कोई भी डिफेक्ट हो, कहीं भी कोई क्लिप मिसिंग हो, कहीं स्लीपर पर कोई डिफेक्ट आ गया हो, ट्रैक के गेज में यानी दोनों पटरियों के बीच के डिफरेंस में फर्क आ गया हो तो सब कुछ एक्यूरेटली मैजर हो जाता है और तीन मशीनों ने बहुत अच्छा परफार्म किया है। अब हर जोन में वैसी एक मशीन लगाई गई है। दो साल पहले से प्रयास शुरू किया था कि ट्रैक मैन की जिंदगी में कैसे एक बड़ा परिवर्तन लाएं। उसे हथौड़ा लेकर न चलना पड़े, इसके लिए अजमेर में पहले एक गाड़ी बनाई गई थी, जिसमें टोयटा इनोवा को मोडीफाई किया गया था, जिससे कि वह ट्रैक पर भी चल सके। उसके बाद महिंद्रा और टाटा के साथ मिलकर रेलवे के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है।

मैंने सात-आठ दिन पहले ही उसका इंस्पेक्शन किया था। वह गाड़ी सड़क पर भी चल सकती है और रेलवे के ट्रैक पर भी चल सकती है। उसमें इस तरह से सुविधा दी गई है कि वेल्डिंग मशीन, हथौड़ा और अन्य इक्विपमेंट्स उस गाड़ी में रखें और ट्रैक मैन उस गाड़ी में बैठे। पीछे दो सीट्स हैं, बड़ा-सा ग्लास है और कैमरा लगा हुआ है। बड़े आराम से पटरियों का निरीक्षण किया जा सकता है और ट्रैक इंस्पेक्टर, पीडब्ल्यूआई, गैंगमैन, ट्रैक मैन उस गाड़ी में बैठकर बहुत आराम से और सेफ्ली ट्रैवल करते हुए इंस्पेक्शन कर सकें, ऐसा एक नया इनोवेशन रेलवे ने किया है और इस इनोवेशन को पहले सात-आठ महीने तक टेस्ट करेंगे और उसके बाद यदि सफल निकला और लोगों को पसंद आया तो बड़े पैमाने पर देश भर में लागू करेंगे। इस तरह हर तरीके से ट्रैक की सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है।

सभापति जी, वर्ष 2013-14 में करीब 9000 ऐसी लेवल क्रासिंग्स थीं, जिन पर कोई गेट मैन नहीं रहता था। इस वजह से कई दुर्घटनाएं होती थीं। मैं आज बहुत खुशी से आपको बताना चाहूंगा कि 9000 की 9000 अनमैंड रेलवे क्रासिंग्स अब जीरो हो गई हैं और जहां भी अब लेवल क्रासिंग यानी गेट है, वहां या तो अंडर पास या फिर गेट के पास गेट मैन नियुक्त होता है। कहीं पर भी बिना गेट मैन के कोई लेवल क्रासिंग देश भर में नहीं रह गई है। यूपीए के दस वर्षों में जहां मात्र चार हजार फ्लाई ओवर्स या अंडर पासेज थे, आज इन दस वर्षों में 12 हजार यानी चार गुना फ्लाई ओवर्स या अंडर पासेज बने हैं… (व्यवधान)

(1425/SMN/RV)

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Minister, you are misleading the House. … (*Interruptions*)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: In case there is any doubt, I will repeat it. unmanned level crossings, which means a crossing which is authorized by Railways - I am not talking about the unauthorized Railway crossings, I am talking of the authorized Railway crossings, which had a gate - are today hundred per cent manned or eliminated by constructing a flyover or underpass. I hope I am clear about it. … (*Interruptions*)

I would like to repeat it again that 12000 flyovers and underpasses have been constructed in these 10 years, that is three times more than the flyovers and underpasses constructed during the UPA period. … (*Interruptions*) यह बहुत स्पष्ट है।

सभापति जी, सेफ्टी में ट्रेन्स का और ट्रेन की टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वर्ष 1950 और 1960 की टेक्नोलॉजी के जो आई.सी.एफ. कोचेज़ थे, उनकी मैन्यूफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद की गयी। एल.एच.बी. कोचेज़ की मैन्यूफैक्चरिंग को रैम्प-अप किया गया। जहां यूपीए के समय में मात्र 2,300 एल.एच.बी. कोचेज़ बने थे, वहीं आज इन दस वर्षों में 37,000 एल.एच.बी.

कोचेज़ बने हैं। हमने यह संकल्प लिया है कि पुराने युग के जितने आई.सी.एफ. कोचेज़ हैं, उन्हें हम आने वाले पाँच वर्षों में एल.एच.बी. कोचेज़ के साथ 100 प्रतिशत रिप्लेस कर देंगे।

सभापति जी, लोको की मेनटेनेंस, वैगन्स की मेनटेनेंस, कोचेज़ की मेनटेनेंस, ट्रेन सेट्स में नयी टेक्नोलॉजी, नए कप्लर की टेक्नोलॉजी लाना, इन सबका उपयोग करके ट्रेन्स की सेफ्टी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।

सभापति जी, टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस किया गया। जहां यूपीए के शासनकाल में मात्र 800 स्टेशन्स को डिजिटल यानी जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहते हैं, वे किए गए थे। पर, मोदी जी के इन दस वर्षों के कार्यकाल में 3,000 स्टेशन्स को डिजिटल स्टेशन्स बनाया गया है, जिसमें एन्टायर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की गयी है, जिसका ऑटोमैटिक कंट्रोल है।

सभापति जी, वर्ष 2013-14 में फॉग सेफ्टी डिवाइस मात्र 90 थे। आज 20,000 फॉग सेफ्टी डिवाइसेज़ हैं। किसी भी पैमाने पर देखें तो हमारी सरकार में बहुत ध्यान से, बहुत गम्भीरता के साथ काम किया गया है।

सभापति जी, एंटी कोलीज़न डिवाइस की भी चर्चा हुई। मुझे टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझ है। मैं कहना चाहूंगा कि एंटी कोलीज़न डिवाइस जब लगाया गया, तो उसके पीछे सेफ्टी का एक भी सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया।

सभापति जी, इंडस्ट्री में सेफ्टी का स्टैण्डर्ड होता है – एस.आई.एल. (सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल)। SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4 होता है। SIL4 is the highest level of safety and integrity. एंटी कोलीज़न डिवाइस में कहीं भी कोई सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया था।

सभापति जी, तब के एक बड़े कद्दावर रेल मंत्री जी थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन लोगों ने बहुत फैनफेयर के साथ एंटी कोलीज़न डिवाइस लगाने की घोषणाएं कीं। कई जगह लगाया भी, लेकिन उनके ही कार्यकाल में, उन्हीं रेल मंत्रियों के कार्यकाल में एंटी कोलीज़न डिवाइस को 'फेल्योर' डिक्लेयर करके बंद भी किया गया।... (व्यवधान) मैं यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसमें हम कोई राजनीति न करें। यह हमारे यात्रियों के जीवन की सुरक्षा से संबंधित विषय है।

सभापति जी, मोदी जी ने एक बहुत ही सिस्टेमैटिक तरीके से 'कवच' का डेवलपमेंट चालू किया। वर्ष 2016 में इसके पहले ट्रायल्स हुए, वर्ष 2019 में सेफ्टी इंटेग्रिटी का जो उच्चतम स्तर 'SIL 4' होता है, उसका सर्टिफिकेशन वर्ष 2019 में मिला।

(1430/GG/SM)

वर्ष 2019 के बाद उसको करीब 1400 किलोमीटर पर लगाए गया। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में रेलवे की अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर कोस्टल एरिया है, कहीं पर रेगिस्तान है। अलग-अलग जगह से, अलग-अलग परिस्थितियों में कवच में और क्या फीचर्स एड किए जाएं, वह सारा काम 16 जुलाई, 2024 को कम्पलीट हुआ। कवच का वर्ज़न

4.0 आरडीएसओ ने अप्रूव किया और अब करीब 15 हज़ार किलोमीटर। … (व्यवधान) दादा, बैठो सीरियस डिस्कशन हो रहा है। … (व्यवधान) दादा, सीरियस डिस्कशन हो रहा है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : मंत्री जी आप बोलते रहिए।

… (व्यवधान)

श्री अश्विनी वैष्णव : सभापति जी, अभी दस हज़ार लोकोमोटिव्स और 15 हज़ार किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर ऑलरेडी कवच का काम चालू हुआ है। सभापति जी, with all humility at my command, I would like to say that समृद्ध देशों ने, रिच कंट्रीज़ ने जो काम 20 सालों में किया है, भारत ने वह काम पांच साल में किया है। … (व्यवधान)

सभापति जी, कई माननीय सांसदों ने पूछा है, इसलिए मैं कवच का एक और फीचर बताना चाहूंगा कि कवच बेसिकली सिग्नल को कैबिन के अंदर, लोकोपायलट का जो डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड के ऊपर सिग्नल को ले कर आता है। मान लीजिए कि सिग्नल दस किलोमीटर दूर है। वहां रेड है, येल्लो है या ग्रीन है, दस किलोमीटर दूर का सिग्नल तो आँखों से नहीं दिखेगा। कवच लगने से ड्राइवर के कैबिन पर दस किलोमीटर दूर का सिग्नल भी दिखाई दे जाएगा। मान लो कि बाहर फॉग है। उसके कारण विज़िबिलिटी एकदम कम हो गई हो तो भी कवच से सिग्नल ड्राइवर को कैबिन के अंदर डैशबोर्ड पर दिखाई दे जाता है, उसको बाहर देखने की जरूरत नहीं है।

सभापति जी, कवच वर्ज़न 4.0 जो कि देश की सारी परिस्थितियों को ले कर बना है, जब उसकी टेस्टिंग कोटा से सवाई माधोपुर तक हुई, मैं बताना चाहूंगा कि जो लोकोपायलट थे, उनको जब कहा गया कि 130 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि कवच में फीचर है कि ओवरस्पीड होते ही वह ऑटोमैटिकली ब्रेक लगा देता है और रेड लाइट आती है, ड्राइवर ब्रेक लगाए या न लगाए, कवच अपने आप ब्रेक लगा देता है। तो लोकोपायलट बहुत घबराए हुए थे कि नहीं, मैं स्पीड को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, वह 130 किलोमीटर स्पीड का सैक्शन था। लेकिन जब उन्होंने कवच को ध्यान में रखते हुए स्पीड बढ़ाई और कवच ने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोकोपायलट के चेहरे पर इतनी खुशी थी। … (व्यवधान) सभापति जी, उन लोकोपायलट्स ने कहा कि यह कवच केवल रेलवे का कवच नहीं है। यह कवच मेरे परिवार का कवच है। … (व्यवधान)

सभापति जी, एक मान्यवर सांसद ने कहा कि डीरेलमेंट रुक नहीं रहे हैं, डीरेलमेंट्स का क्या है? सभापति जी, मैं फिर बताना चाहूंगा और अगर आप परमिशन दें तो मैं नाम लूंगा वर्ना मैं नाम नहीं लूंगा। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : नाम मत लीजिए।

श्री अश्विनी वैष्णव : सभापति जी, नाम नहीं लेता हूँ।

यूपीए के समय में प्रति वर्ष औसतन 171 कॉन्सिक्यूएंशियल एक्सिडेंट्स होते थे। महोदय, वह संख्या 75 पर्सेंट कम हो कर 40 पर आ गयी है। जो डीरेलमेंट्स का टोटल आंकड़ा था, यूपीए के समय में 443 थे। 365 दिनों में 443 डीरेलमेंट्स होते थे। That number has come down to 95. यानि 78 पर्सेंट रिडक्शन हुआ है। सभापति जी, लेकिन हम इतने पर सैटिस्फाइड नहीं हैं।

हम इसमें भी अथक प्रयास कर के हरेक इंसिडेंट के रूट कॉज़ में जा कर स्ट्रक्चरल चेंज ला कर, जहां प्रोसेस में चेंज करना है, वहां प्रॉसेस में चेंज कर के, जहां टैक्नोलॉजी में चेंज करना है, वहां टैक्नोलॉजी में चेंज कर के, जहां पर भी जो भी चेंज करना है, वह चेंज कर के हम एक्सिडेंट्स और डीरेलमेंट्स की संख्या को और भी कम करेंगे।

(1435/MY/RP)

सेफ्टी को हम इससे भी अधिक बढ़ाएंगे। इसके लिए मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। हम लोग इसके लिए अथक प्रयास करने के लिए आपको एश्योर करते हैं।

सभापति जी, अब मैं सिक्स्थ प्वाइंट पर आऊंगा। कई मान्यवर सांसदों ने कहा कि रेलवे में वैकेंसी की क्या स्थिति है। मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पर रखना चाहूंगा कि यूपीए के समय जहां 4,11,000 लोगों को रेलवे में नौकरी मिली थी, वहीं मोदी जी ने 5,02,000 लोगों को नौकरी दी है।

सभापति जी, एग्जाम कराने में भी पूरा ध्यान रखा गया है। हाल ही में आरआरबी के एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं। मैं एक परीक्षा का एग्जाम्प्ल देना चाहूंगा। उसमें 1,26,00,000 एप्लीकेंट्स शामिल हुए थे। 68 दिनों तक रेलवे की परीक्षा चली। 211 शहरों में परीक्षा हुई। 15 भाषाओं में एग्जाम्स हुए थे, लेकिन कहीं पर कोई पेपर लीक नहीं हुई। कहीं पर कोई भी इंसीडेंट नहीं, एकदम स्मूथ्ली एग्जाम्स हुए। मैं श्री प्रेमचन्द्रन जी को ध्यान्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने भी एक बार इसको मेंशन किया था कि कितना स्मूथ्ली एग्जाम हुआ है।

सभापति जी, 1,30,581 युवक और युवतियों को रेलवे में नौकरी दी गई। यह बिना किसी कंप्लेन्ट या पेपर लीक के संभव हुई। वर्षों से हमारे नौजवान कैडिडेट्स की जो डिमांड थी, जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इच्छुक हैं, वह यह थी कि इसके लिए एक एनुअल कैलेंडर बनाया जाए।

सभापति जी, रेलवे में भर्ती का एनुअल कैलेंडर बना और उसके हिसाब से आज रेलवे में रिक्रूटमेंट चल रही है। आज 58,642 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है। अभी हाल ही में लोको पायलट का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया। कहीं पर कोई कंप्लेन्ट नहीं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से स्मूथ्ली परीक्षा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। यह विषय भी सबके सामने स्पष्ट है। रेलवे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।

सभापति जी, मैं सातवें विषय पर आऊंगा। कई मान्यवर सदस्यों ने नॉर्थ-ईस्ट के बारे में विषय रखा। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि नॉर्थ-ईस्ट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने रेलवे का एक बिलकुल अद्भूत विकास किया, जो अनप्रेसिडेंटेड है, वैसा डेवलपमेंट किया। मिजोरम में भैरवी तक रेलवे लाइन पहुंच रही है। अगरतल्ला ब्रॉडगेज से कनेक्ट हुआ। नागालैंड में 100 साल के बाद दूसरा ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन मोदी जी के कार्यकाल में बना।

सभापति जी, मणिपुर में खोंगसान्क तक रेलवे लाइन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में नाहरलागून तक रेलवे लाइन पहुंच चुकी है। सिक्किम में रांगपो तक का काम तेजी से चल रहा है। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में दौलतपुर चौक तक रेल लाइन पहुंची है और

मुकेरिया तक का काम चल रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग तक का काम तेजी से चल रहा है।

सभापति जी, वर्षों से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की देश को अकांक्षा, इच्छा और प्रतीक्षा थी कि कश्मीर का प्रोजेक्ट पूरा हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, श्रेष्ठ है, इसको जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट है। यह आज रेडी हो गया है। इसकी टेस्टिंग और सारे सेफ्ट सर्टिफिकेशन के काम चल रहे हैं। आगामी चार महीने के अंदर इस पर गाड़ी चलने लगेगी। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

सभापति जी, मैं विपक्ष के मान्यवर सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार पीठ थपथपा कर कश्मीर के निवासियों को आशीर्वाद दें। उनको भी आप बताएं कि आप भी उनके साथ खड़े हैं।... (व्यवधान)

सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा फैक्ट है। माननीय सदस्य, आप बैठिए। मैं आपको फैक्ट बता देता हूं।

(1440/CP/NKL)

मैं आपको फैक्ट्स दे दूंगा। कैबिनेट नोट कब पास हुआ, मैं आपको बता दूंगा।... (व्यवधान) महोदय, मैं एक अच्छा फैक्ट बताना चाहूंगा। चिनाब का जो ब्रिज है, यह ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है। हम अगर एफिल टॉवर से कंपेयर करें, तो चिनाब का ब्रिज एफिल टॉवर से 35 मीटर टॉलर है। काश, आपके मन में कुछ खुशी होती, तो अच्छा लगता। ... (व्यवधान)

महोदय, ऐसे ही डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। वर्ष 2014 तक जो जीरो था, वह आज 2,741 किलोमीटर बन चुका है और डेली 350 गाड़ियां डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर पर जा रही हैं। 1,300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण भी चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम भी आज देश में चल रहा है।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इंडीविजुअल विषय उठाए, चाहे बंगाल के हों, चाहे तेलंगाना के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सबको इंडीविजुअली लेटर के माध्यम से जवाब दूंगा।... (व्यवधान) विषय बहुत सारे हैं और समय की मर्यादा है। बाकी सब विषयों के बारे में, आपके हर एक विषय पर अगले 7 से 8 हफ्तों में जवाब दूंगा।...(व्यवधान)

महोदय, इन 10 वर्षों में मोदी जी का काम बोलता है। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने इंक्लूजिव ग्रोथ की एक नई मिसाल देश के सामने, दुनिया के सामने रखी है, समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है, देश के हर क्षेत्र का विकास किया है, इसीलिए 140 करोड़ देशवासियों ने ऐतिहासिक तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हम सबको बहुत स्पष्ट भाव से कहा है कि तीसरी टर्म में तीन गुनी ज्यादा मेहनत करनी है। जिस समृद्ध भारत के सपने को आंखों के आगे रखने के लिए हम निकले हैं, जिस विचार को लेकर आगे निकले हैं, जिस विकसित भारत की नींव रखने के लक्ष्य को लेकर आगे निकले हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अथक मेहनत करेंगे, अपनी जी-जान लगा देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : प्रश्न यह है:

“कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1445/NK/VR)

खंड 3

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया): श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have two amendments to clause 3 of the Bill. In my speech also, I reiterated the issue. The Parliament is the right forum which should be given the powers to fix the number of Directors and members of the Railway Board. This is a colonial legislation. You are simply adopting and doing the copy-pasting.

HON. CHAIRPERSON: Are you moving your amendments?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my first amendment is regarding the members as may be prescribed. So, my first amendment is that it should be fixed as seven members.

The second amendment is, “either absolutely or subject to any conditions”, powers may be devolved. My point is, that is also not necessary as far as good legislative drafting is concerned. So, I am moving these amendments. Sir, I beg to move:

Page 2, line 12,-

omit “either absolutely or subject to any conditions,”. (1)

Page 2, line 18,-

for	"such number of Members as may be prescribed"
substitute	"seven Members". (2)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति : श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 से 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I move my amendment nos. 3 to 5 to clause 3 of the Bill. I think the Government has missed an opportunity. बहुत सारे पोस्ट्स हैं, जो वैकेंट्स रह जाते हैं, गजटेड पोस्ट आप नहीं भर पाते हैं, आपको उनको अधिकार देना चाहिए कि गजटेड और नॉन- पोस्ट के बारे डिसीजन रेलवे बोर्ड ले सके, दो-तीन चीजें और हैं। Sir, I beg to move:

Page 2, *after* line 14,-

insert	"Provided that the Railway Board shall commit to sustainability measures and shall mandate the creation of sustainable energy plans, including but not limited to the implementation of energy-efficient technologies, procurement of renewable energy, carbon offset initiatives, and adherence to the target of achieving net-zero carbon emissions of Railways by 2030.". (3)

Page 2, *after* line 25,-

insert	"Provided that the Railway Board shall have the power to declare any post under its control as gazetted or non-gazetted, subject to such rules and regulations as may be prescribed.". (4)

Page 2, *after* line 36,-

insert "Provided further that the qualification and experience necessary for the appointment of the Chairman and the other Members of the Board shall be such as to ensure a diverse range of expertise, including but not limited to policy, financial management, railway safety, operational efficiency, regulatory compliance, public administration, and technology.". (5)

माननीय सभापति: अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 से 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

Page 2, *after* line 25,-

insert "Provided that the Railway Board shall ensure payment of full living wage and access to social security for all employees of the Indian Railways.". (6)

माननीय सभापति: अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I urge the Government that Environmental Impact Assessments should be done before starting a project. So, I beg to move:

Page 2, *after* line 25,-

insert "Provided that the Railway Board shall ensure that compensation for railway accidents is paid within a period not exceeding two months:

Provided further that the Railway Board shall ensure that Environmental Impact Assessments for all projects are conducted in accordance with the prescribed rules to mitigate environmental damage.". (7)

माननीय सभापति: अब मैं विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अश्विनी वैष्णव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक

1448 बजे

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं

"कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

माननीय सभापति : आप इस विधेयक पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए।

श्री नित्यानन्द राय: सभापति महोदय, भारत विभिन्न प्रकार की आपदाओं को झेलता है। भारत के लगभग सभी हिस्सों में किसी भी मौसम में आपदाएं आती रहती हैं, यह भारत ने देखा है। वर्ष 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विकसित भारत बनाना है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए 'जीरो कैजुअल्टी एप्रोच' की नीति के साथ सरकार काम कर रही है।

(1450/SK/SAN)

आपदाओं से काफी नुकसान होता है लेकिन यह सच है कि गत वर्षों में जब से माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, कुशल आपदा प्रबंधन के कारण नुकसान में काफी कमी आई है। जान-मान के नुकसान को देखें तो सुपर साइक्लोन में जहां 10,000 लोगों की जानें गई थीं, वहां 'बीपरजॉय' और 'दाना' में जीरो मानवीय क्षति हुई।

महोदय, वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया और इसके क्रियान्वयन में राज्यों को कई बाधाएं और कठिनाइयां महसूस हुईं उन बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई राज्यों ने गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यकारी समितियों के बीच प्रभावी कार्यात्मक एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई जिसके कारणवश माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस सदन में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2024 लेकर आए।

महोदय, इस संशोधन विधेयक के कुछ उद्देश्य हैं, मैं इनके बारे में माननीय सदन को जरूर बताना चाहूंगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राधिकरण और समितियों की भूमिकाओं में और अधिक स्पष्टता एवं कन्वर्जेंस लाने के लिए यह विधेयक जरूरी है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय समिति और अधिनियम पूर्व कतिपय संगठनों को वैधानिक स्टेटस प्रदान करना भी इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के दक्ष कार्यकरण को सुदृढ़ करना है। इस संशोधन विधेयक के और मुख्य उद्देश्य हैं - राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटा बेस सृजित करने का उपबंध करना, राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों,

जिनमें नगर निगम है, के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का उपबंध करना और राज्य सरकार द्वारा राहत आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का उपबंध करना।

महोदय, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं, उनके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं लेकिन राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा कुछ कमियां महसूस की गई हैं इसलिए यह संशोधन विधेयक लाना आवश्यक है। भारत सरकार को महसूस हुआ कि इस विधेयक को लाकर कमियों को दूर कर सकते हैं और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ कर सकते हैं। विगत कई वर्षों में, खासकर वर्ष 2014 के बाद आपदा प्रबंधन के तहत उठाए गए कदमों के बारे में मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो परिणाम आए हैं, मैं संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

महोदय, वर्ष 2016 में एनडीए द्वारा पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाएं विकसित की गई और इन योजनाओं की पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई सम्मेलनों के माध्यम से सराहना की गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2016 में एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान डीआरआर पर 10-सूत्री एजेंडा जारी किया।

(1455/KDS/SNT)

यह आज दुनिया भर में आपदा के क्षेत्र में एक सूत्र बन गया है। वर्ष 2019 में सीडीआरआई का शुभारंभ हुआ। अब तक 40 देश और 7 अन्य संगठन इसके सदस्य बन चुके हैं। 350 जिलों में एक लाख स्वयंसेवी आपदा मित्र को प्रशिक्षित कर तैनात किया गया है। एनडीआरएफ में चार बटालियनों को बढ़ाया गया है। कुल बटालियन अब 16 हैं। चक्रवात के लिए सामान्य एलर्ट प्रोटोकॉल योजना के माध्यम से तत्काल एलर्ट किया जाता है। वर्षा और बांध एवं नदियों के जलस्तर पर एवं सभी आपदाओं के पूर्वानुमान पर पूर्व चेतावनी पहले 3 दिन हुआ करती थी, अब वह 7 दिन हो गई है। 7 दिन पूर्व ही हम चेतावनी दे देते हैं। राष्ट्रीय चक्रवात से बचाव हेतु शमन परियोजना के अंतर्गत तटीय राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

माननीय गृह मंत्री जी ने वर्ष 2019 में एक बड़ा निर्णय लिया। पहले जब कोई आपदा आती थी, तो जब तक वहां से आवेदन नहीं आता था, तब तक कोई टीम असेसमेंट के लिए नहीं जाती थी। अब आईएमसी टीम पूर्व में ही जाती है। हम राज्यों को सूचित करते हैं। राज्य उस सूचना का संज्ञान लेकर जब हमें सूचित करता है, तो हम जाते हैं। हम उनके आवेदन का, अनुरोध का इंतजार नहीं करते। चक्रवात जोखिम शमन और मोचन हेतु डीसीआरए और डीएसएस टूल विकसित किया गया है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों का मानचित्र तैयार किया गया है।

भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा डिजिटल एटलस विकसित किया गया है। हिमालय के क्षेत्र में 28 हजार हिमनद झीलों का व्यापक डेटा तैयार किया गया है। इसका परिणाम यह है कि सुपर साइक्लॉन में 10 हजार मौतें हुईं, जबकि बिपरजॉय और दाना में जीरो कैजुअलिटीज हुई हैं।

महोदय, लू से वर्ष 2015 से ठीक पहले 2 हजार 40 लोगों की जानें गई थीं, जो वर्ष 2024 में घटकर 244 हो गई हैं। एनडीआरएफ ने भी अपने ऑपरेशन के माध्यम से बहुत लोगों की जान बचाई है। आईएमडी का सटीक मौसम पूर्वानुमान आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आज बहुत उपयोगी है। हम उस नुकसान के पूर्वानुमान के आधार पर सजग होकर तैयारी करते हैं। आपदा रिस्पांस के संसाधनों की इन्वेंट्री का डेटाबेस आईडीआरएन तैयार किया गया है। एकल आपातकालीन नंबर 112 के साथ ईआरएसएस का विस्तार हुआ है। आंकड़े एकत्र करने और डीआरआर के लिए नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का विकास हुआ है। इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड द इंस्टीट्यूशन्स नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना हुई है। अब तक 318 संस्थान इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं।

एनडीआरएफ द्वारा स्कूलों में सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय संगठनों जैसे एससीओ, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल, बिम्सटेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के तहत आपदा प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा है। राज्य सरकारों को वर्ष 2015-20 की तुलना में वर्ष 2021-26 में एसडीआरएफ के आवंटन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। एसडीआरएफ के आवंटन में 109 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि की गई है। देश में पहली बार वर्ष 2021 में नैशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के मध्य एसडीआरएफ में मात्र 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था।

(1500/MK/AK)

जो वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक तीन गुना बढ़कर 1,24,000 करोड़ रुपये हो गया है। एनडीआरएफ को भी वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच 28,000 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जो वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक तीन गुना बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार देखा जाए तो इन दस वर्षों में जारी की गई राशि में तीन गुना की वृद्धि हुई है।

महोदय, मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि वर्ष 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने का संकल्प लिया गया है और यह विधेयक आज के समय की जरूरत है। इसमें सभी मॉडर्न डायनामिक्स परिभाषित किए गए हैं।

इस विधेयक के पारित होने के साथ ही, जो भी प्रभावित लोग हैं, आपदा के कुशल प्रबंधन से निश्चित रूप से उस क्षेत्र में इतनी कामयाबी हासिल होगी कि हम नुकसान को कम कर पाएंगे और जान-माल के नुकसान को भी कम कर पाएंगे। इसलिए, इस विधेयक को लाना जरूरी था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदाओं से प्रभावित उन लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा है। माननीय गृह मंत्री जी यह विधेयक लेकर आए हैं। हम सदन से आग्रह करेंगे कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

Hon. Members, it is an important Amendment Bill regarding Disaster Management. So, I would request all the Members to be present here and give their important views.

Now, I would request Dr. Shashi Tharoor to initiate the discussion.

1501 hours

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Chairman.

I rise today in opposition to the Disaster Management (Amendment) Bill 2024 moved by the hon. Minister because it is a disaster. I would like to elucidate our perspective on the legislation. We had great expectations of it, but it appears to have been taken out of the oven half-baked and rushed into this hallowed chamber clamouring to be passed. That this Bill is even being debated in the Parliament is miraculous because several of my colleagues in the Opposition pointed out on the 1st August 2024, when the hon. Minister of State introduced this Bill, that this legislation was brought under Entry 23 of the Concurrent List of the Constitution.

Mr. Chairman, you do not have to be a Constitutional expert to realise that social security and social insurance, employment and unemployment, which are subjects of Entry 23 do not even remotely cover Disaster Management. Now, the matter that had the Government actually try legislating on the issue of unemployment, unemployment in India might not be in such disastrous shape but चलो, कोई बात नहीं, चलेंगे। We will carry on.

But anyway, here we are with a Bill hurried into the Parliament on a constitutionally untenable and federally unviable ground and with a host of other drawbacks that diminish even the little imagination that the Centre has sought to display.

Now, before the Treasury Benches accuse the Opposition of opposing just for the sake of it, let me reassure them that I find myself in agreement with the rationale for this Bill that the Minister has just explained. In my first Parliamentary term, I was the Convenor of the Parliamentary Forum on Disaster Management which has since been abolished by the NDA Government. Yes, the Disaster Management Act of 2005 was in need of rigorous reform. And yes, there is a pressing need to streamline our sprawling and scattered disaster management framework which, despite the best of intentions, ends up causing inordinate delays in the worst moments failing to rescue our fellow Indians caught up in disasters.

Now, we see and he is right to say human lives, infrastructure, mother nature and all of these things are affected by disasters. But we, as MPs from

Kerala, understand this very well. Yet, far from strengthening and making effective our crisis management mechanisms and far from bringing, as the Minister just promised, more clarity and convergence to our prevailing disaster management instruments and institutions, it actually exacerbates the problem. Sadly enough, it was an ill-thought-out, overlapping and convoluted distribution of powers amongst the authorities and committees, and it envisages or retains from the current Act. The net result is a greater centralisation of the Disaster Management Act, 2005 and a top-down approach that would create a chain of command so complicated and heavy that it may collapse under its own weight before even mitigating, much less preventing, any horrific disaster like the landslides in Wayanad, which were the most devastating landslides in Kerala's history.

(1505/UB/SJN)

On the 3rd of August, Mr. Chairman, after my hon. colleague from Wayanad visited, I made an emotionally crushing visit to Wayanad and assisted in the distribution of relief supplies gathered by the MP office in my constituency of Thiruvananthapuram. Picking my way through the rubble to view the destruction of Mundakkai, Chooralmala, and Punchiri Mattam, I beheld massive JCBs rumbling, where, till five days previously lavishly green hilly villages had sprawled beneath great blue skies. At a hospital suffused with the anguish of countless Indians, whose homes and dreams were pulverized by bombardment of rocks and boulders, in the early hours of 30th July, I met a young survivor who had endured inconceivable horrors, just eight years old. She had lost her father, mother, brother, sister, grandfather, and grandmother, and sustained numerous injuries from broken bones to a heavily bruised face. As I saw her propped up in bed, immersed in a colouring book, desolation gripped me. We should have been able to prevent, to predict better what was to come, prepare for it, and even to prevent it. But we failed at all of these. The wails of Wayanad and the scenes of devastation and despair that greeted me there and my colleagues who have been there, and in the relief camps, will forever haunt me.

All of us together owed it to the more than 480 people who perished in Wayanad, and an equally staggering number who were grievously injured, to ensure that no Indian citizen in any part of our country ever again has to endure such a gruesome fate. But this Bill, I am afraid, does not guarantee that. Right

off the bat, this Bill promises, as I mentioned, greater clarity and convergence in the roles of authorities and committees working in the field of disaster management. But in reality, it confuses and complicates and typically just concentrates power in the hands of the Central Government. This is evident when the Bill accords statutory status to the National Crisis Management Committee and the High-Level Committee, both of which predate this Bill, but without explaining why. Pursuant to clause 6, the Cabinet Secretary will chair the National Crisis Management Committee, with the Central Government deciding everything, who will be part of it, who will be invited to participate in its meetings, what powers it will exercise, the functions it will perform, and even what procedures it will follow in exercise of the power and discharge of its functions. In other words, though on paper it will be the nodal body to deal with major disasters, in reality it will be a creature of the Central Government, a timid creature. Nowhere does the Government stipulate that such a crucial body should necessarily have ecologists, environmentalists, experts of various kinds who can help us predict, prevent, prepare for, and mitigate natural disasters. This disdain for expertise is a recurring theme of this Bill.

Now, given that we already have a National Executive Committee, which is empowered to act as a coordinating body, a National Disaster Response Force for targeted responses and the overarching National Disaster Management Authority, what is the utility of this Committee? Will it not just serve to convolute the chain of command; to delay response time in situations where tardiness can result in the loss of tens of thousands of lives? Further complicating the chain of command and vesting yet more powers on the Central Government is this: Pursuant to Section 8(b) of this revised Act, the Centre is to constitute a high-level committee with a Union Minister as Chairperson for approving financial assistance under sections 46 and 47, the National Disaster Response Fund, and the Mitigation Fund. Now, ultimately both these funds shall be applied in accordance with the guidelines laid down by the Central Government in consultation with the NDMA. So, there is no autonomy to this high-level committee. So, once again the question arises, what exactly shall be the powers of the statutory body? This Bill institutionalizes inadequacies and inefficiencies, especially at the Central Government level. Whereas pre-existing bodies with functions not clearly demarcated, overlapping with those of other

institutions, have been given statutory recognition, the National Disaster Management Authority, the national linchpin of this Act, remains enslaved to the Ministry of Home Affairs and has no administrative or financial powers of its own, having to route even its minutest decisions through the Home Ministry, a needlessly arduous and time-consuming process. It has also been reported in the media that the NDMA is massively understaffed. I was hoping the hon. Minister would address that in his reply at least, if he has not done so in his introduction.

(1510/SRG/SPS)

It has to stop somewhere and for better coordination of disaster management and mitigation efforts, the NDMA should have been upgraded to a Department of the Government of India, even if not to a Ministry, but it remains subordinate to the Home Ministry. Even the question of its leadership has not been satisfactorily addressed. It is officially chaired by the Prime Minister. NDMA is normally overseen by a Vice Chairperson, who has the rank of a Union Cabinet Minister, but bafflingly, clause 3 of this Bill says, “any member of the NDMA is authorized to perform the day-to-day functions of the Authority”, forgetting that the political heft of a Ministerial rank is vital for dealing with the States and other Ministries and Departments of the Union.

Mr. Chairman, this Bill, in its ostensible pursuit to decentralise the decision-making process regarding funds manages to do something utterly bizarre. It dilutes the entire purpose of the National Disaster Response Fund by removing the specific uses for which the fund was intended. One of the most pressing criticisms of the old Act was the excessive centralisation of fund allocation. Many of our States have complained about this, especially when disasters are categorised as "severe”. The debilitating human cost of such a disaster demands from the Centre a sense of urgency, completely absent in the proposed framework. The Centre is bereft of this sense of urgency, let alone of any compassion. It has been proved very often, especially when disaster relief funds from the NDRF were callously denied to Tamil Nadu and only disbursed to Karnataka only after an inordinate delay.

In 2023, when Tamil Nadu and Karnataka found themselves on the brink of catastrophe, they were compelled to move the Supreme Court to access the much-needed NDRF funds, funds they had a rightful claim to. … (*Interruptions*)

Yes, Himachal has been mentioned. Others, I am sure, will do so. Let me speak of the cases I know. In Karnataka, 196 out of 236 taluks had been officially designated as "severely drought-affected" by the Inter-Ministerial Central Team with the Sub-Committee of the National Executive Committee even recommending financial aid for the State, but despite this, the Congress-ruled State, I admit, had to wait over six months to receive the funds, long after the prescribed one-month period following the IMCT report. This deplorable delay deprived the State of the essential resources to protect its citizens, and frankly violated the Fundamental Right to Life of the people of Karnataka. Tamil Nadu suffered a similar fate as well, especially in the aftermath of Cyclone Michaung, when there was a dearth of necessary funds and the Central Government was indifferent.

While we in Kerala had long been demanding that the Wayanad landslide be declared a "national disaster," this request was dismissed in a letter to me by the MoS Home on the 10th of November claiming that there were sufficient funds in the State Disaster Relief Fund. The justification provided was that the existing guidelines under the SDRF and NDRF offer no provisions for such a declaration. The lack of financial aid from the NDRF, under the perversely misguided assumption that the SDRF funds would suffice, has left us in an unenviable position. With no interim aid forthcoming, Kerala has been left with no option but to insist on the declaration of the landslide as a Level-3 disaster which will at least allow us for the mobilisation of some resources and support. But many of us had raised this much earlier. No sooner had the landslides ravaged Wayanad, I wrote to the hon. Home Minister on the 31st of July, requesting him to recognise this monumental cataclysm as a "calamity of severe nature" in terms of Paragraph 8.1 of the MPLADS guidelines, so we could have all helped at that time. We could have recommended works up to a crore of rupees from the MPLADS funds, but the request was ignored. The Minister of State wrote to me in early November to tell me that an Inter-Ministerial Central Team (IMCT) had visited Wayanad from 8th to 10th of August, and the Central Government would take action based on its request. They are supposed to take action within one month, according to the existing Act. To this date, no action has been taken and no additional funds have been arranged for Wayanad. How can we accept this?

This Bill, Sir, is an excellent case of minimum decentralisation, maximum declamation, at which, of course, this Government excels. Indeed, even one of this Bill's better provisions is undermined by the Government's refusal to walk the talk. I refer to the creation of separate Urban Disaster Management Authorities in State capitals and cities with municipal corporations, except Delhi and Chandigarh. This has been introduced to foster greater coordination than what is possible under the Disaster Management Authorities in our big urban centres. But even while it takes a step, which otherwise I would have applauded, the Centre fails to provide any necessary financial devolution.

(1515/RCP/MM)

Without it, this measure will be toothless. While the Government appears to have recognised that district administrations across India should tackle emerging threats on their own terms and in line with local conditions, it has overlooked the dismal fact that in our country the total municipal expenditure accounts for barely 0.79 percent of the GDP. Where is the money? Given that this Bill focuses on disaster risk reduction rather than post-disaster management, it is crucial that the Government realise that urban local bodies need to be financially empowered, as in other countries, to amass resources to institute, equip, and run Urban Disaster Management Authorities and discharge their risk reduction obligations to the letter. For risk reduction activities to be conducted at the local level, the creation of infrastructure that bolsters the vitality and vigour of urban local bodies is vital. But this Bill is silent on this issue, offering no real resources to revitalise India's urban local bodies. Creation of these bodies could have been a good step towards sustainable urban spaces, but it will be useless without effective devolution of finances and authority. This half-baked provision needs to be amended.

Another damaging aspect of this Bill is that it seeks to weaken the National Executive Committee and the State Executive Committees which are staffed to the level of Secretaries to the Governments of India and the States which are supposed to formulate national-level and State-level disaster management plans. If this Bill passes, the NDMA and the SDMAs will instead assume this power. At the same time, these Committees will remain the coordinating bodies for relief, rehabilitation, and reconstruction during and after natural disasters, saddling them in effect with the responsibility for exercising disaster

management plans that they did not formulate. You execute something that you did not actually come up with. This flies in the face of the complete logic of the original purpose of these Committees which was to foster greater collaboration amongst various Ministries of the Union and the State Governments. Where is cooperative federalism here? The Bill's major weakness has throughout been its inability to innovate on institutional mechanisms to deal with disaster risk. Although it achieves coordination for greater risk management, it offers no clarity on how to achieve such coordination in practice amongst a wide range of institutions, split both vertically and horizontally, and including non-Government, private, and civil society elements.

By the way, Mr. Chairperson, the Minister has not noted this. Disaster relief, rehabilitation, and reconstruction is still not a justiciable right in India. The Indian State has for far too long undertaken relief measures as an obligation, not a duty. It must discharge that duty in fulfilment of its citizens' inviolable rights. This has been an issue for years. But the Bill would have been an opportunity to fix it because we are learning lessons from what has not worked in the earlier version. You have been stretched. You will, of course, carry out relief assistance up to your whims and your political expediency. You may provide *ex-gratia* compensation. You may provide relief items, compensation for destruction of houses, destruction of boats, fishing equipment, farming equipment, etc. But all of this will vary from place to place. It must change. Disaster relief must be a fundamental right of all Indian citizens.

It is also important to point out one important negative factor of this Bill that testifies to its lack of imagination, creativity, and reluctance to accept the bleak realities of our environment. On 25th of July, the hon. Minister of State for Science, Technology and Earth Sciences told this House that the Government has no plans to classify coastal erosion or heat waves as notified disasters under the Disaster Management Act, 2005. This is crazy. We need to expand the list of notified disasters. Given our own experience, since the Act was passed in 2005, to this day, the disasters eligible for assistance under the NDRF remain limited to cyclones, floods, droughts, earthquakes, landslides, and so on. Coastal erosion and heatwaves are conspicuously absent. This narrow, outdated definition of 'disaster' stands in contrast to the growing global

consensus that recognises coastal erosion and heatwaves as climate-related disasters.

(1520/PS/YSH)

The devastating impacts of these calamities on eco-system, on human health, are no longer matters of debate. My own constituency has lost 65 square kilometres to coastal erosion since I became the MP. I have said in this House, and in a letter to the Prime Minister, if we had lost one inch to the Chinese, we would have made it a national issue. We have lost 65 kilometres to natural disasters we do not seem to care. I am sorry, Sir.

According to the All India Meteorological Department, 2024 has witnessed already a staggering 536 heatwave days, the highest in nearly 14 years, and between 2013 and 2022, heatwaves and sunstrokes claimed more than 10,000 lives and yet the Government obdurately refuses to acknowledge this disaster looming over us.

The Disaster Management Act was passed over nineteen years ago. It might not have anticipated that climate change would get so bad and that coastal erosion and heatwaves would transmogrify into such a formidable challenge in the future. But why not this Bill? If this Bill has learnt any lessons in the last nineteen years, it should show them here. Why could it not devise a mechanism to grapple with this burgeoning crisis? Though the Disaster Management Act's definition of a disaster is actually broad enough to encompass climate-induced events, its statutory list remains static and unimaginative. It obstinately ignores the realities that our citizens are enduring. This is a dangerous oversight, as the impacts of such events – widespread loss of life, destruction of livelihoods – are no less severe than the devastation wrought by floods or earthquakes.

In failing to adapt, we risk exposure to avoidable calamities. The Government demonstrates its indifference to the plight of those numerous Indians who perished because of a heatstroke or lost their homes and livelihoods to coastal erosion. Therefore, the NDMA needs to enhance its capacity to prevent climate change from becoming disasters, such as unprecedented landslides in Wayanad's case, heat waves, and storms. Let us not forget that among the primary contributors to the Wayanad calamity were a host of issues, not just excessive rainfall as the Home Minister has mentioned. These were, widespread deforestation, with 62 per cent of Wayanad's forests having

disappeared since 1950; ceaseless soil erosion, made more relentless by rainwater seeping into loose topsoil, which reduces soil cohesion and contributes to landslides; and soil piping: the formation of underground tunnels because of subsurface soil erosion. The fact that I want to say very simply is that climate change is worsening the situation, especially with more flash floods and landslips being triggered by merciless and ruthless monsoons.

With the warming of the Arabian Sea creating deep cloud systems, which result in brief spells of ruthlessly intense rainfall, Kerala will be yet more vulnerable to landslides. We must take stock of these facts, uncomfortable though they may be and seek to confront them head on. … (*Interruptions*) Sir, I will wrap up. I just need two minutes for one last point. We wanted this Bill. We wanted it to be imaginative and innovative. But we have seen none of that. We have not seen financial and administrative preparedness. Instead, it is just a testament of the Government's insistence to rush it through Parliament. But let me ask the hon. Minister in all earnestness: What good will bulldozing this Bill through Parliament do if it cannot prevent another Wayanad? Where are the provisions for disaster prevention, like landslide-mapping and coastal protection measures? It will not do India and Indians any good merely to create a framework that does not actually devolve any powers upon the States, upon local urban bodies, upon self-government units in our country. What is needed is a stricter streamlining of a scattered policy framework that has far too many authorities and bureaucratic muddles, an end to the concentration of powers in the Centre's hands, and a genuine attempt to learn from our failures at navigating past disasters and keeping up with the challenging realities of our climate change.

A revised Bill should allow for expertise independent of committees, streamline and clarify the role of each of the newly introduced bodies … (*Interruptions*) and give the MPs a right to be heard. … (*Interruptions*) I am just finishing. It should make disaster relief a legal right, and revive the Parliamentary Forum on Disaster Management to give the MPs' views a chance to be heard. This Bill does not have any of these qualities. Therefore, it must be returned to the drawing board. And I urge the Minister to withdraw the Bill.

Thank you very much. Jai Hind.

(ends)

(1525/RAJ/SMN)

1525 बजे

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (हरिद्वार) : सभापति महोदय, आज मैं आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 और उत्तराखंड में बार-बार आने वाली आपदाओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि यह विधेयक शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और और राज्य की राजधानियों में यूडीएमए स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। यह एक नई अवधारणा है और निश्चित रूप से यह बहुत कारगर साबित होगी। जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं या आपदा से पहले जो आवश्यक प्रबंधन करने होते हैं, उसे करने में यह सफल होगा। इसमें राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटा बेस का प्रावधान किया गया है जो 72 जोखिम आंकलन और संसाधन आबंटन में मदद करेगा।

तीसरा विषय यह है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, एसडीआरएफ का गठन, राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों को तैनात करने की अनुमति देगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। निश्चित रूप से राज्यों में इनकी तैनाती की अनुमति देने से पूरे देश के राज्यों को इसका लाभ होगा। विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर या पूर्वोत्तर के राज्य हों, वहां पर आपदा प्रभावित स्थल अक्सर बहुत दुर्गम होते हैं। जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो कई बार वहां की नेटवर्क भी प्रभावित होती है। वहां सड़कें टूट-फूट जाती हैं, उन पर आना-जाना मुश्किल हो जाता है। उस समय वहां हवाई सेवाएं भी बाधित हो जाती हैं। ऐसे में जोखिमों का आंकलन और आपदा डेटा बेस के आधार पर संसाधन आबंटन करने में निश्चित रूप से प्रतिक्रिया बल को मदद मिलेगी।

जो शहरी योजना का प्रावधान किया गया है, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर योजनाओं को तैयार करेगा और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसमें व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण किया गया है। मैं समझता हूं कि इन्हें विकेंद्रीत करने से अधिकतम समाजिक संगठन, प्रतिक्रिया बल को इसमें इंवॉल्व करके जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, स्थानीय आधार पर जो स्थानीय आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उसे ध्यान में ही रख कर आगे योजना बनाई जाएगी और प्रभावित लोगों को उससे मदद मिलेगी।

मैं जलवायु परिवर्तन और जोखिमों के आंकलन के बारे में कहना चाहता हूं कि विधेयक जलवायु से जुड़े खतरों का नियमित मूल्यांकन करने पर जोर देता है, जिससे जलवायु प्रेरित आपदाओं जैसे ग्लेशियर, लेक्स का फटना, फ्लड्स और अनियमित मौसम पैटर्न के लिए बेहतर तैयारी की जा सकेगी। आज इस तरह की परिस्थितियाँ का निर्माण हो रहा है। आज कहीं न कहीं देश और दुनिया यह महसूस कर रही है कि इको-सिस्टम में कुछ परिवर्तन आ रहा है। मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उनसे समय पूर्व आंकलन करने में सुविधा होगी। प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी एवं इसमें एआई के इस्तेमाल करने की जो बात है, उससे दुर्गम क्षेत्र में, जहां पर अकस्मात आपदाएं आती हैं।

(1530/KN/SM)

उनका कई बार पता भी नहीं चल पाता है और उससे बचने के लिए बहुत कठिनाई होती थी। उसमें एआई का इस्तेमाल करके चेतावनी प्रणाली विकसित की जा रही है। उससे समय पूर्व जब चेतावनी दी जाएगी तो उससे जो जान-माल का खतरा है, वह बच सकेगा। पुनर्वास के बजाय पुनर्प्राप्ति सहायता – यह एक महत्वपूर्ण सुधार है। जो आपदा पीड़ित हैं, उनकी सहायता के लिए बहुत ही सकारात्मक सुधार किया गया है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो आपदा है, इसके कारण नौनिहाल, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में हैं, उनका जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। विशेषकर नौनिहालों का जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि आपदा के समय विस्थापन अनिवार्य हो जाता है। हम जहां पर विस्थापन करते हैं, वहां पर उनकी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल है, वह प्रभावित होता है। अगर हम यूनिसेफ के आंकड़े पढ़ेंगे तो वे बहुत चौंकाने वाले हैं। पिछले दस सालों में लगभग 3 करोड़ 70 लाख बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। उनका जो मानसिक विकास है, वह प्रभावित हुआ है और उनका शारीरिक विकास प्रभावित हुआ है। उनके परिवार का आर्थिक ढांचा, आर्थिक स्वरूप भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में जो प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं, जो सुधार इसमें किए गए हैं, मैं समझता हूं कि उससे निश्चित रूप से नौनिहालों को या हम यह कहें कि जो देश का भविष्य है, भावी भारत है, उससे भारत सुदृढ़ होगा। वे बच्चे देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभा सकेंगे। इसी तरह से जब आपदाएं आती हैं, तो हमारे जो वन्य जीव हैं, वन सम्पदा है, वह बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जो वन सम्पदा है, वन्य जीव हैं, इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है और उसमें भी इस बिल के कारण कुछ सुधार आएगा।

महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल हैं। उनका जो सीमांत क्षेत्र है, वहां पर एक क्वारी गांव है। क्वारी गांव धंसाव पर है। ग्लेशियर से जो पिंडर नदी निकलती है, उसमें दो साल तक पानी में मिट्टी बहकर आती रही। वहां के जो जलीय जीव हैं, वे प्रभावित हुए हैं। उसके कारण उसके जीवन पर संकट आया है। यह आपदा केवल क्षणिक नहीं होती, बल्कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर नाप भूमि है, उसके अलावा जो भूमि है, वह वन भूमि है। वन भूमि होने के कारण जब उनके विस्थापन की जरूरत होती है, उनको विस्थापित किया जाता है तो उनको विस्थापित करने में भूमि का भारी अभाव होता है। उसके कारण कई बार हम उन्हें स्कूलों में ठहराते हैं, पंचायत भवनों में ठहराते हैं। हमारी जो शिक्षा है, उसके कारण वह भी प्रभावित होती है, क्योंकि पहाड़ों में ढालधार खेत है। ऐसे में वहां पर उनके लिए टेम्परेरी व्यवस्था करने में भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लोगों में एक तरह से भय का वातावरण बना रहता है। जो प्रभावित लोग हैं, उनका क्षेत्र चाहे कितना ही प्रभावित हुआ हो, वह अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहता है। वह अपने गांव में ही रहना चाहता है, क्योंकि उसकी जो आजीविका का स्रोत है, उनकी जो खेती है, उसे बाहर खेत नहीं मिल सकते हैं और न ही उनके लिए उपलब्धतता होती है। इस अमेंडमेंट बिल में जो चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की गई है, एआई का सहारा लिया गया है, मैं समझता हूं कि उसके कारण इसमें तमाम तरह की सुविधाएं होंगी।

(1535/VB/RP)

उत्तराखण्ड एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ पर बरसात के दिनों में भारी भू-स्खलन और लैंड इरोज़न होता है। वहाँ की उपजाऊ मिट्टी बहकर नालों में, नालों से नदियों में और नदियों के माध्यम से नीचे मैदानी भागों में चली जाती है और उसको उपजाऊ करती है। लेकिन वहाँ की उपजाऊ मिट्टी उससे प्रभावित होती

है। मिट्टी में जो तमाम तरह के मिनरल्स होते हैं, उनका वहाँ पर अभाव होता है। वहाँ पर सामान्यत: ऑर्गेनिक खेती होती है और उससे हमारी खेती प्रभावित होती है। इसके साथ ही, उससे हमारा स्वास्थ भी प्रभावित होता है। एक उम्दा, एक स्वास्थ्यवर्धक अनाज के उत्पादन में स्वाभाविक रूप से कमी आती है। उससे जन-धन, पशुधन आदि सारी चीजें प्रभावित होती हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी के द्वारा जो अमेंडमेंट प्रस्ताव रखा गया है, उससे निश्चित रूप से इन सब चीजों में मदद हो सकेगी। इन सारी चीजों का जो सोशियो-इकोनॉमी इफेक्ट पड़ता है, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी।

माननीय सभापति जी, मैं उत्तराखण्ड के संबंध में कुछ और बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारी अधिसंख्य नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। आज जो ग्लेसियर्स हैं, वे प्रभावित हो रहे हैं। वर्ष 2013 में केदारनाथ ऊपर जो चोराबाड़ी ताल था, जिसको गांधी सागर ताल भी कहा जाता है क्योंकि गांधी जी की अस्थियाँ वहाँ पर प्रवाहित की गई थी, इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। वह टूट गया। इसके कारण केदारनाथ जैसी आपदा आई, जिसमें लगभग 10 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। उस समय मौसम इतना खराब था कि वहाँ पर पहुंचना मुश्किल था क्योंकि तमाम रास्ते ध्वस्त हो गए थे, जिसके कारण वहाँ पर पहुंचना काफी कठिन था। मुझे याद है, हमारे प्रधानमंत्री जी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे केदारनाथ की आपदा में सहायता करने के लिए वहाँ से सहायता का प्रस्ताव लेकर उत्तराखण्ड आए थे। चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनको वहाँ उतरने की परमिशन नहीं दी गई, तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और लगभग डेढ़ दिन वे उत्तराखण्ड में रहे। उस समय उन्होंने उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्ताव दिया था कि केदारनाथ मन्दिर के पुनर्निर्माण का काम है, जो मन्दिर ध्वस्त हो गया है, उसके पुनर्निर्माण का काम गुजरात करेगा। दुर्भाग्य से, तत्कालीन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाबा केदार के आशीर्वाद से उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण किया। आज वहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं। देश भर से जो श्रद्धालुगण आते हैं, उनके लिए बेहतर सुविधाएं दीं। यही नहीं, बदरीनाथ जी में भी मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की आपदा को, वहाँ की पीड़ा को समझा। उन्होंने उस समय गुजरात से स्पेशल ट्रेन सहायता लेकर भेजी थी। उत्तराखण्ड के लोग इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसी आपदा के समय में, जब वे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस संवदेनशीलता से उत्तराखण्ड के लिए काम किया, जितनी तत्परता से वे उत्तराखण्ड के लोगों के साथ खड़े नज़र आए, आज उत्तराखण्ड के लोग उनके साथ उसी तरह से खड़े नज़र आ रहे हैं और आगे भी साथ खड़े नज़र आते रहेंगे।

माननीय सभापति जी, मैं कुछ और विषयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस पर बहुत अधिक गम्भीरता से ध्यान देने की जरूरत है, वह है अवैज्ञानिक तरीके से माफिया तत्त्व खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है, जिससे हमारे जलस्रोत प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ लगे हुए किसानों के खेत भी उससे प्रभावित होते हैं। पानी का तल लगातार नीचे जा रहा है।

(1540/PC/NKL)

इसलिए, इस तरह की जो आपदाएं हैं, उनसे भारी नुकसान होता है। मेरा लोक सभा क्षेत्र हरिद्वार है। हरिद्वार में पिछले वर्ष की जो बरसात थी। … (व्यवधान) धन्यवाद, आप भी हरिद्वार से हैं। … (व्यवधान) जब भारी बरसात हुई, तो उसके कारण हरिद्वार जनपद की जो शुगर मिल्स हैं, वहां तीन शुगर मिल्स हैं, वहां 60 परसेंट गन्ने की खेती पानी में डूब गई। उसके कारण 40 परसेंट पर ही वहां की शुगर मिल्स ने

काम किया। मैं उदाहरण देकर इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नदियों के कारण और भारी बरसात के कारण ऐसा हुआ। उस समय गंगा जी का जो करंट होता है, वह बिजली की तरह होता है, उसकी इतनी गति होती है। वह पानी खेतों में चला जाता है। जो गंगा और फौलानी नदियां हैं, उनसे वहां के किसानों की खेती की सुरक्षा के लिए इन तटों को बांधना भी बहुत जरूरी है, ताकि किसानों का जो नुकसान होता है, उस नुकसान से बचा जा सके। इस आपदा से किसानों को राहत मिल सके। उस समय मैं वहां का जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वहां जनप्रतिनिधियों का जाना बहुत मुश्किल हो गया, लोग गुस्से में थे, क्योंकि उनकी आय का जो सोर्स है, जो उनकी इनकम का मुख्य सोर्स है, उनके परिवारों को चलाने का जो मुख्य अधार है, जो कि खेती है, वह उससे प्रभावित हुई। इसलिए, आपदा प्रबंधन से पूर्व जो आकलन होते हैं, इस तरह के जो अनुभव आते हैं, उनसे बचाव के लिए इन नदियों को बांधा जाना बहुत जरूरी है। उनके तटों को मजबूत तटबंधों के द्वारा बांधा जाए, ताकि किसानों की खेती को बचाया जा सके। … (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, उत्तराखंड में तमाम भूकंपीय आपदाएं आती हैं। हमने देखा है कि वर्ष 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप आया, उसके बाद चमोली में भूकंप आया, क्योंकि उत्तराखंड एमसीटी – मेन सेंट्रल थ्रस्ट पर है। उसकी लंबाई जितनी हिमालय की लंबाई है, लगभग ढाई हजार किलोमीटर है। उस सेंट्रल थ्रस्ट पर उत्तराखंड और तमाम हिमालयी राज्य रहते हैं। वहां लोग निवास करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग वहां पर, उन स्थानों पर अपने घर बना लेते हैं, अपनी दुकानें बना लेते हैं और बाकी सब व्यवस्था कर लेते हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एमसीटी के बारे में लोगों को बताया जाए। उस इलाके में जो मानवीय बसावट है, उसके लिए कोई न कोई, ऐसी टैक्नोलॉजी हम उनको दें कि उसी टैक्नोलॉजी से वहां पर निर्माण किया जाए। वहां जहां ज्यादा खतरा बार-बार महसूस होता है, उसको प्रतिबंधित किया जाए। जैसा जोशीमठ में पिछले साल हुआ, उस तरह की दिक्कतें सामने न आएं, क्योंकि वह पूरा हिमालयी क्षेत्र है और मोरेन पर बसा हुआ है। पूरी लैंड अलखनंदा की तरफ लैंडस्लाइड कर रही है। इसी तरह की पूरी वह बैल्ट है, जैसे जोशीमठ है, वहां से उत्तरकाशी का भटवाड़ी जिला है। ऐसे ही अगर नौ किलोमीटर का पैच छोड़ दिया जाए, तो उत्तर-पूर्व की ओर और उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी यह बैल्ट है। इस पर हमको समय-समय पर वहां के लोगों को जागरुक करना होगा। वहां की राज्य सरकारें उससे लोगों को जागरुक करें, अवेयर करें, ताकि जो मानव क्षति है, जो पशुधन की क्षति है, जो खेती की क्षति है, उसको हम लोग न्यून कर सकें।

मुझे लगता है कि अवेयरनेस के लिए, जागरुकता के लिए इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे निश्चित रूप से लोग जागरुक होंगे। जिस तरह से आपदा मित्र बनाए जा रहे हैं, उन आपदा मित्रों के माध्यम से जागरुकता का कार्य होगा। किसी भी आपदा की स्थिति में स्वाभाविक रूप से वहां के स्थानीय लोग सहायता के लिए पहुंचते हैं। इसलिए, आपदा मित्र बनाने की जो योजना माननीय गृह मंत्री जी ने तैयार की है, निश्चित रूप से इन आपदा मित्रों के माध्यम से हम आपदा के कारण जो तमाम तरह के नुकसान होते हैं, उनको नियंत्रित करने में, उनको कम करने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1545/VR/IND)

1545 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, which was introduced in the Lok Sabha. I would first speak about certain positive changes that have been brought by the Government through this Bill.

First of all, the Director General of Police is now made the ex-officio member of the State Executive Committee by insertion of clause (c) in sub-section (2) of Section 20. This is a positive change as an officer of police force of the State shall now have an active role in laying policy for disaster management and response.

Then, the Bill also seeks to create the Urban Disaster Management Authority for State Capitals and municipal corporation areas by introducing Section 41A in the Principal Act. This is also a positive change for the State. The State is empowered to constitute a State Disaster Response Force by insertion of Section 44 (a) in the Principal Act of 2005.

Sir, there are certain parts of the Bill where no effective changes have been brought, like, Section 19 of the Principal Act of 2005, which is omitted. That speaks about the guidelines for minimum standard of relief to persons affected by disasters in the State. The same power has been given under Section 18 (2)(o) of this Act of 2005. Hence, no effective changes are done.

The functions of the State Executive Committee given under Clauses (a), (c), (i), (k) and (n) of sub-section (2) of Section 22 of the Principal Act of 2005 are omitted. These powers along with the power of maintaining State disaster database are now given to the State Authority instead of State Executive Committee by introduction of clause (i) to (iii) in sub-section (2) of Section 18 of the Principal Act of 2005. It is not an effective change at all.

There are some negative changes also in the new Bill. An explanation has been inserted in Section 2 clause (d) to clarify the expression “man made causes”. It does not include any law and order related matter or situation, or any situation arising from a law and order related matter or situation.

What is the probable implication? Payment or relief for loss of life or damage to property in any riot-like situation may not be possible.

Then, a new clause (u) has been inserted in Section 6 (2), whereby the National Authority may undertake in the aftermath of severe disasters in any State, post-disaster audit of preparedness and response activities of the State.

What is the probable implication of this? The possibility of misuse of this clause against the State Government cannot be ruled out.

In Section 56, a new sub-section (2), has been inserted by which the State Government has been mandated to take disciplinary action on its own or on the direction of the Central Government against an officer who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office on grounds of insubordination or dereliction of duty during a disaster. The action taken by the State Government shall not be inconsistent with the directions given by the Central Government.

What is the probable implication of this? It appears to be an attempt to give authority to the Central Government to control the action of the officers of the State Government. This provision encroaches upon the authority of the State Government thereby destroying the federal structure of the Constitution. Here, possibility of misuse against the State Government cannot be ruled out.

Then, a new Section 41A has been inserted for creation of separate Urban Disaster Management Authority for the State Capitals and all cities having a municipal corporation. In such UDMAs, the Municipal Commissioner has been made Chairperson, ex-officio, and the District Collector of the district has been made Vice-Chairperson. Now, what is the possible probable implication? In some cases, like Bidhannagar Municipal Corporation or Asansol Municipal Corporation, this may create hierarchical anomaly as the Collector may be senior to the Municipal Commissioner.

(1550/SAN/RV)

Sir, India stands on the cusp of being the world's third largest economy. It is already the most populous nation. In India, despite the constitutionalisation of functions of municipalities, the total municipal expenditure accounts for hardly 0.79 per cent of the GDP. In the post-World War years, Japan spent six to eight per cent of its GDP on an average on disaster management efforts, resulting in the country becoming one of the global leaders. But this Bill does not adequately address the resource and the funding gaps at the local level, particularly in setting up of and maintaining UDMAs.

The new disaster management builds on the provision seeking to institutionalise a similar response team at the State level to be called State Disaster Response Force and also to constitute a separate Urban Disaster Management Authority for the State Capitals and for all cities having municipal corporations, barring Delhi and Chandigarh, to bring in an extra layer of city level disaster management institution.

The removal of usage guidelines for the National Disaster Response Fund also raises concerns about centralised control over the Fund. Following the amendments, the National Executive Committee and the State Executive Committee will no longer formulate national-level and State-level disaster response. The NDMA and the SDMAs would take over this duty in lieu of empowering the local authorities with greater autonomy and resources for disaster response. That gives the Central Government more power to make decision which could reduce the independence of the State and the local authorities, and will solve more problems than it solves.

This Bill practically does not speak anything about the cooperative federalism; it is rather destroying the structure of federalism. Ultimately, whenever the disaster takes places, who are the primary persons who will come and take the responsibility? They are the officers of the State. We can see it for the last ten years that Bill after Bill is being brought and a good attempt has been made in this country to destroy the federal structure of the country.

India, with 2.4 per cent of the world's land, houses about 17.78 per cent of the global population. It induces pressure on resources and competition over fragile ecosystem which, in turn, increases the risk of disasters. The traditional role that the welfare State plays in India in providing disaster relief is that of obligatory nature, which has not been extended as a legal right. Mr. Tharoor was talking about the Fundamental Right. Of course, the question of Fundamental Right comes up when a person faces a disaster. Leave aside this Fundamental Right, why should the legal right not be created? Of course, it comes under Article 21 of the Constitution, but a legal right has to be created for those who are suffering.

1553 hours (Shri A. Raja *in the Chair*)

Basically, this Bill has no such mechanism that allows collaboration among various stakeholders. Even this Bill does not adequately address the need of resources and expertise of the local authorities, especially in the smaller cities.

Despite the Disaster Management Act, 2005 being there over the last two decades, the national guidelines for minimum standards of relief have not empowered the States for moral or obligatory framework to empower its citizens to

claim certain minimum relief through a coordination process and to make it legally obligatory for the States to disburse the relief timely and effectively. This Bill also has no further clarity on how to achieve such coordination in practice among a diverse set of institutions, including non-government, private and general public.

The Bill shows much evidence of a further centralisation of an already heavily Centralised Disaster Management Act. The Act, in its current form, already mandates the creation of many authorities and committees at the national, State and district levels. The proposed Bill further provides statutory status to the existing organisations such as the National Crisis Management Committee and High Level Committees, complicating the chain of action to be followed in cases of disaster. There are so many cases. Who will take the decision? Who will do it? Who will perform the duty?

(1555/SNT/GG)

The Bill empowers the NDMA to take stock of the entire range of disaster risks, including fresh disasters that the country could face. Hence, through a process of centralization of power, this Bill is seriously going to blur the lines of responsibility among various levels of Government and while scrutiny over its constitutionality as disaster management is not explicitly mentioned in the Constitution's Concurrent List, a proper entry could be inserted to cover the issue of disaster management.

Today, there are 268 Municipal Corporations in India. Setting up of UDMAs means that regarding disasters, the Municipal Corporations would be managed by UDMAs and would no longer be part of the Disaster Management Authority. The UDMA, as a consequence, would be headed by the Municipal Commissioner, as the Chairman with the Collector as Vice-Chairman, irrespective of age and authority, and will directly be overseen by the Central Government. But it has not been clear how it will coordinate with fire, transportation, and water services, which are under the jurisdiction of the State, and the law and order machinery throughout the country is controlled by the State.

Sir, I know that Mrs. Sarangi will, of course, oppose this. Now, the Collector has gone down. The Municipal Commissioner will be above him or her. I will be waiting to hear what is the response of Mrs. Sarangi so far as this part is concerned. The point of worry is that while the Municipal Corporations are endowed with greater disaster management authority in relation to the geographies under their control, they may be thwarted by minimal overall powers and sources.

Sir, the local Governments have also been observed to play a key role in coordinating responses to extreme climate events and other disasters. Different

research organizations affirm that while outcomes are uneven, vesting powers and resources with local authorities leads to gains in a wide variety of State functions relating to public service delivery, rural development, and the delivery of social security mechanism.

Now, I will come to proactive measures. Many State Governments such as Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, basically from Kashmir to Kerala and Maharashtra to Manipur, took proactive measures to contain the spread of COVID-19, including lockdowns, curfews, and total restrictions, including relief packages and free rations for the poor and shelter for migrants. There was effective testing and contact tracing. The States like Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal ramped up testing and contact tracing efforts to identify and isolate infected individuals. There were economic relief packages. Several State Governments announced economic relief packages, including financial assistance to daily wage workers, farmers, and small business owners. There was community engagement. The State Governments engaged with local communities, NGOs, and voluntary groups to promote awareness, provide support, and facilitate relief efforts. The State Governments set up dedicated COVID-19 hospitals and quarantine centres to provide medical care and isolate infected patients.

Coming to vaccination drives, the State Governments organized vaccination drives. Some States even offered free vaccination to their citizens. For the last two or three years, we can only hear that the Central Government has done this. मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। अरे! हम लोगों के स्टेट में किसने किया है? आपके स्टेट में कौन किया है? वह हम लोग भी करते हैं। जब हम लोग करते हैं, तब आप क्रेडिट ले लेते हैं। … (व्यवधान) Sir, unfortunately, for these expenses, the Central Government has not paid anything.

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, हमारे माननीय कल्याण बनर्जी जी शायद कोविड के समय ... (*Expunged as ordered by the Chair*) रहे होंगे। पूरी दुनिया को कोविड के समय माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में कितना सहयोग दिया गया, वैक्सीन दी गई। वहीं पश्चिम बंगाल ने और इनकी सरकार द्वारा केंद्र सरकार को उस समय परेशानी में डालने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करती थी। जो वैक्सीन जाती थी, उसको ट्रैफिक क्लियरेंस नहीं देते थे। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Hon. Minister, you have made your point.

श्री नित्यानन्द राय: आपदा के समय जो ट्रेन जा कर पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्टेशनों पर खाद्यान्न पहुंचाने के लिए रुकी रहती थी और ये तैयार नहीं होते थे। … (व्यवधान) जब हम लोग तैयार होते थे तो ये लोग उसमें बाधा डालते थे। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak.

(1600/MY/AK)

श्री नित्यानन्द राय: कोविड के समय सब लोगों ने मिलकर काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसे स्वीकारते हैं।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Please let him complete.

… (*Interruptions*)

श्री नित्यानन्द राय: यह हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।… (व्यवधान) इसे पूरी दुनिया ने सराहा है। आप क्या सवाल कर रहे हैं? … (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : आप बैठिए। हम आपके विषय पर आते हैं।… (व्यवधान) हम कोविड के बारे में बोलेंगे।… (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: आप गलत मत बोलिए।… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, this is the disturbance that … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, in any case the Minister is going to give reply. At that time, it can be covered.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please continue.

… (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, हिन्दी में एक गाना है, क्या आप जानते हैं? हिन्दी में एक गाना है- 'झूठ बोले कौआ काटे'। आज उनको … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)… (व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने ही नहीं देते हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Kalyan ji is saying, please.

… (*Interruptions*) … *(Not recorded)*

श्री नित्यानन्द राय: … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोलने वाले को … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)भी काटता है। … (व्यवधान) … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोलने वाले को … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) भी काटेगा, … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) भी काटेगा और … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) होगा।… (व्यवधान) … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोलने वाले का … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) होता है।… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Let us come to the point.

HON. CHAIRPERSON: Okay, you have made your point.

… (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, कोविड-19 के समय ये लोग दिल्ली में बैठे थे। हम लोग एमपी हैं। हम लोग लोकल एरिया में रहते हैं।… (व्यवधान) हम लोग कोविड पेशेंट को लेकर अस्पताल गए हैं।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I am addressing you.

श्री नित्यानन्द राय: कोविड के समय नरेन्द्र मोदी जी के सहयोग और नेतृत्व पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है।… (व्यवधान) अगर वह सवाल उठा रहे हैं तो उनको सुनना भी पड़ेगा।

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, please.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Will you please allow me to speak? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will give direction to him, please.

… (*Interruptions*)

श्री नित्यानन्द राय: इनको वैक्सीन देने के लिए बराबर दबाव डालना पड़ता था कि आप हमारी वैक्सीन को लीजिए और लोगों को लगाइए। पश्चिम बंगाल के लोगों की जान बचाइए। तब भी ये लोग नहीं सुनते थे। … (व्यवधान) हम लोगों को इतना इम्फोर्स करना पड़ा, तब जा कर इन लोगों ने वैक्सीन ली।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, if you are replying to each and every Member then and there, then …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the point, Kalyan ji.

… (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, पश्चिम बंगाल के आदमी ने इतना सुना है, इसीलिए आप लोग 18 से घट कर 12 हो गए।… (व्यवधान) आप बैठिए, हमारी बात सुन लीजिए।… (व्यवधान)

Sir, they do not have a degree of courage. … (*Interruptions*) They all speak ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (*Interruptions*) What is this? … (*Interruptions*)

श्री नित्यानन्द राय: आप लोगों को पश्चिम बंगाल के लोगों की जान की परवाह ही नही थी।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I request you to first take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, please confine yourself to the Bill. Allegations and counter-allegations politically is not fit for this place. Please address the Bill on merit.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am telling everyone including Scindia ji. If at all you are having any grievance over his speech, it is up to you when your time comes. Please wait for it. You can give comprehensive answer to them. Do not worry.

… (*Interruptions*)

संचार मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया) : सर, हम आपके निर्णय के साथ सहमत है। परंतु, इसका मतलब यह भी नहीं है कि सदन के पटल पर, यह सदन एक गंभीर लोकतांत्रिक प्रणाली का मंदिर है, सरासर … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोला जाए, यह बिलकुल उचित नहीं है।… (व्यवधान) केवल इस सदन के अंदर आवाज उठाकर अपनी आवाज सुनाने की कोशिश अगर कोई सदस्य करे और वह यह कोशिश करे कि … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) को सच में परिवर्तित करे, यह संभव हो ही नहीं पाएगा।… (व्यवधान) देश और विश्व की जनता जानती हैं कि भारत ने विश्वबंधू के रूप में पूरे विश्व की कोविड के समय मदद की है। केवल भारत की 140 करोड़ जनता के ही नहीं, बल्कि 200 करोड़ इंजेक्शन लगाए।… (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता एकत्रित हो उठी थी और इनकी सरकार ने बंगाल में क्या … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) था, इसे बंगाल की पूरी जनता जानती है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, आप मेरी बात सुनिए।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, you were entitled to do what your Government did in West Bengal. Do not make some allegations against them.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): No, I am not making any allegation in what I am saying. … (*Interruptions*) Now, two Ministers have made allegations against us. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, कोई मिनिस्टर बोले कि उनके पास पावर है। उनको पावर प्रोजेक्ट करके … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।), यह भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I have to give answer to this. … (*Interruptions*) because you are the Minister. … (*Interruptions*) You are having power to raise your voice, to stand up and just to ... (*Expunged as ordered by the Chair*). … (*Interruptions*) What is this? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

(1605/UB/CP)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): This is not proper.… (*Interruptions*).

संचार मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया) : सर, आवाज कौन उठा रहा है? … (व्यवधान) सर, किसके चेहरे पर ... (*Expunged as ordered by the Chair*) है और किसके चेहरे पर मुस्कराहट है, आप स्वयं देख लें।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : आप सुन लीजिए। आप बहुत सुंदर दिखते हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Please address the Chair.

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं तो यह नहीं है ...(*Expunged as ordered by the Chair*) ऐसा कुछ नहीं है।… (व्यवधान)

1605 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य।

… (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : आप देखने के लिए सुंदर हैं। आप बहुत बड़ी फेमिली से आते हैं।… (व्यवधान) हमको छोटा करेंगे … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, सब्जेक्ट पर आइए।।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूं। आप क्या सोचते हैं? सुंदर हैं तो सब कुछ हैं, ... (*Expunged as ordered by the Chair*)? आप क्या सोचते हैं? … (व्यवधान) Do not do it.… (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, इनके कमेंट पर मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। … (व्यवधान) सर, मेरा हक है जवाब देने का। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। मेरा जवाब देने का हक है। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं, जनता के आशीर्वाद, मेरी मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पर हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफिजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें। हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अगर ये बेफिजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है। आप विधेयक पर अपनी बात कहें। पर्सनल एक-दूसरे पर टिप्पणी न करें, न बैठे-बैठे करें, न खड़े होकर करें। आप अपने विषय पर बोलिए।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): He first attacked me personally. चेहरा ... (*Expunged as ordered by the Chair*) गया है। आपके चेहरे में ब्यूटी है, तो जो मर्जी हो, वह बोल देंगे। हम आपके माफिक देखने में नहीं हैं तो क्या करेंगे भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत सुंदर हैं, आप ... (*Expunged as ordered by the Chair*) हैं। वह सब हम जानते हैं।… (व्यवधान) Why do you say that? हम बोल रहे हैं कि हम आपके माफिक सुंदर नहीं हैं। हम आपके माफिक रिच मैन नहीं हैं। क्या आप हमें जो मर्जी बोल लेंगे?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

… (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सर, सदन की गरिमा के विरूद्ध कोई सांसद बोलेगा, तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। … (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : कोई गांव का आदमी इधर आया है और ... (*Expunged as ordered by the Chair*) आप क्या सोचते हैं? देश के 140 करोड़ आदमी … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, टेम्परेचर डाउन।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप जवाब मत दीजिए। प्लीज बैठिए। मैंने उसको निकाल दिया है।

… (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : महिलाओं के प्रति इनका मान-सम्मान क्या है, यह दृष्टिकोण सदन के सामने आ गया है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना विषय खत्म करें।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : ये खत्म करने नहीं देते। दो मिनिस्टर उठकर बोलते हैं। I will not criticise the Central Government. I talked about the positive changes, they were silent. When I said that there is change, they are silent. The moment I started talking about the negative things, they are jumping. We will not allow this. I am coming from a middle-class family from the villages.

माननीय अध्यक्ष : आप विषय पर आ जाएं।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, सुन लीजिए। I have studied in a *pathshala* and a village school. I am coming from the grassroots. I do not belong to any ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

(1610/NK/SRG)

जो मर्जी है, वह करो। I have a medium standard. … (*Interruptions*) It does not mean … (*Interruptions*)

संचार मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, अगर ये व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो हम इनका भी सामना करेंगे, हम इनको बोलने नहीं देंगे।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : क्या बोलने नहीं देंगे।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : बिल्कुल बोलने नहीं देंगे … (व्यवधान) बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) सदन के अंदर कुछ भी बोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही में कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। प्लीज।

… (व्यवधान) …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

1610 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजकर चालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1640/RCP/SK)

1640 hours

The Lok Sabha re-assembled at forty minutes past Sixteen of the Clock.

(Shri A. Raja *in the Chair*)

DISASTER MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL – contd.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kalyan Banerjee, please continue.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, firstly, I would say that I did not want to hurt anyone including Mr. Scindia. I am really sorry. … (*Interruptions*) If I hurt … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I am sorry. I said, I am sorry. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the Bill. Kalyan ji, please come to the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I did not want to hurt Mr. Scindia at all. … (*Interruptions*) I am sorry for that.

Now, what I would like to talk about is the Centre's response. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan ji, one minute.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): Sir, Mr. Kalyan Banerjee has risen in this House and said that he is sorry. But I will say this.

We all come to this House with a spirit of contribution to the nation's development. We come with a purity of heart. But we also come with a sense of self-respect. Any individual in his life will not stand compromised with his self-respect. Attack us on our policies. Attack us on our views. But if you get personal, certainly be prepared for the response. He has apologised. But, through you Sir, I would like to convey to him that I do not accept his apology

for the personal attack that he has made not only on me but also on the women of India with the words that he has used. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let us put a full stop; please come to the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I have already said sorry.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That is settled between the two. Hon. Members, it is not fair on your part.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The matter was referred to the hon. Speaker. The hon. Speaker has made it clear that it has been settled between the two.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Coming to the vaccination drives, now in some of the States, including the State of West Bengal, organized vaccination drives are even being offered … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please, it has been settled by the Speaker.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): So many free vaccinations have been made available. I am now coming to the Central Government's response so far as COVID-19 is concerned.

(ends)

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned till five o'clock.

1643 hours

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

(1700/PS/KDS)

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the Clock.

(Shri A. Raja *in the Chair*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ram Shiromani Verma.

… (*Interruptions*)

1700 बजे

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, आपने मुझे आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please resume your seats.

… (*Interruptions*)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : महोदय, आज यह जो संशोधन बिल माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the issue was settled by the hon. Speaker. Now, a new speaker is speaking. Are you ready to hear it?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are in the Treasury Benches. The entire country is watching you.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are in the Treasury Benches. That matter has been settled by the hon. Speaker. This is not fair on your part. Please.

… (*Interruptions*)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : महोदय, इसमें एक तरफ……. (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please resume your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House is adjourned till tomorrow at 11 o'clock.

1701 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 12, 2024/Agrahayana 21, 1946 (Saka).